उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की सत्रहवीं बैठक दिनांक 07.09.2026 का कार्यवृत्त

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की धारा–21(1) के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निम्नांकित सदस्य नामित हैंः–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा	(1)	पदेन– कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो	(2)	पदेन– प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(ग) संकायों के अध्यक्ष	(3)	पदेन– संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(4)	पदेन– संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(5)	पदेन– संकायाध्यक्ष (एलाइड एण्ड हेल्थ केयर साइंसेज), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(6)	पदेन– संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
	(7)	पदेन– संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न)	(8)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग।
	(9)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग।
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति	(10)	डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर
	(11)	प्रो0 आर0के0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ
	(12)	डॉ0 अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ
(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0	(13)	पदेन
(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	(14)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा।
(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	(15)	पदेन
(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य	(16)	पदेन
(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति	(17)	पदेन
धारा 22–(9) सचिव–कार्य परिषद कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	(18)	पदेन– कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की सत्रहवीं बैठक दिनांक 07.09.2026 पूर्वान्ह 11.00 बजे से कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अध्यक्षता में आयोजित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र प्रेषित किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

दिनांक 07.09.2026 को मा0 कार्य परिषद की बैठक में निम्नांकित द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

(1)	प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह, कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	अध्यक्ष
(2)	डॉ0 सोनिया नित्यानंद, कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(3)	प्रो0 आर0के0 धीमन, निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(4)	डॉ0 आलोक कुमार, अपर निदेशक, कार्यालय महानिदेशक–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (प्रतिनिधि–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ) (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(5)	डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रति–कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(6)	डॉ0 प्रशान्त गुप्ता, प्रधानाचार्य, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(7)	डॉ0 संजय काला, प्रोफेसर–सर्जरी एवं प्राचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(8)	प्रो0 आर0के0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इमरजेंसी मेडिसिन विभाग, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(9)	डॉ0 अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	–	सदस्य
(10)	डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष (चिकित्सा संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(11)	प्रो0 बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष (नर्सिंग संकाय) एवं प्रभारी संकायाध्यक्ष (फार्मेसी संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(12)	डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया, संकायाध्यक्ष (एलाइड एण्ड हेल्थ केयर साइंसेज), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(13)	डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष (दंत विज्ञान संकाय), उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(14)	डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(15)	डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य
(16)	श्री दीपक वर्मा, कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	सदस्य सचिव
(17)	श्री डोगरा शक्ति, वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	विशेष आमंत्री
(18)	डॉ0 अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	–	विशेष आमंत्री

इस प्रकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सत्रहवीं बैठक दिनांक 07.09.2026 में कुल 18 में से 17 सदस्य उपस्थित रहे एवं 01 सदस्य द्वारा बैठक में प्रतिभाग न कर सकने का संज्ञान लेते हुए गणपूर्ति (उपस्थिति पत्रक संलग्न) होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा मा0 कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया।

तदोपरान्त मा0 कुलपति महोदय/अध्यक्ष–कार्य परिषद की अनुमति से कुलसचिव/सचिव–कार्य परिषद द्वारा मा0 कार्य परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त मा0 कार्य परिषद की कार्यवाही और लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:–

एजेन्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
<u>एजेण्डा बिन्दु 17–1</u> कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

दिनांक 30.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि	की जानी अपेक्षित है। **प्रस्तावः** कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु 17–2 कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की मा0 कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या निम्नवत् है:–

एजेण्डा बिन्दु	निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
(16–3)	**वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 29.05.2026 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के संबंध में।** निर्णयः– वित्त समिति की छठी बैठक दिनांक 29.05.2026 में एजेण्डा बिंदु 6–1 से 6–7 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही एजेण्डा बिंदु 6–4 तथा एजेण्डा बिंदु 6–7 के अन्तर्गत प्रकरण में वित्त समिति की संस्तुति के क्रम में तद्नुसार कार्यवाही करने एवं प्रकरण शासन को संदर्भित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (शासन को पत्र सं0 1450/E दिनांक 22.07.2026 प्रेषित किया गया है।)
(16–9)	**उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई–2025 से सितम्बर–2025 (द्वितीय त्रैमास), माह अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 (तृतीय त्रैमास) एवं माह जनवरी–2026 से मार्च–2026 (चतुर्थ त्रैमास) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद को अवलोकित कराए जाने के संबंध में।** निर्णयः– उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानान्तर्गत विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई–2025 से सितम्बर–2025	**कार्यान्वित (Implemented)** वित्तीय वर्ष 2025–26 के माह जुलाई, 2025 से मार्च, 2026 तक असाध्य रोग के अन्तर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों एवं उपयोग की गई निधि को पुनः सत्यापित कर लिया गया है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

			(द्वितीय त्रैमास), माह अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 (तृतीय त्रैमास) एवं माह जनवरी–2026 से मार्च–2026 (चतुर्थ त्रैमास) में असाध्य रोगों के अंतर्गत उपचार प्राप्त लाभार्थियों की सूची एवं उपयोग की गई निधि से संबंधित विवरण मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किया गया। साथ ही लाभार्थियों की संख्या एवं उपचार में अब तक हुए व्यय संबंधित विवरण को पुनः सत्यापित कराए जाने के निर्देश दिए गए।	
		(16–12)	**विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के शिक्षकों/डिमॉन्स्ट्रेटर तथा ग्रुप 'ए' एवं 'बी' कार्मिकों को कॉन्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु अनुमन्य सुविधाओं को स्थगित करने एवं प्रकरण शासन को संदर्भित करने के संबंध में।** <u>निर्णयः–</u> विश्वविद्यालय के नर्सिंग संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय व फार्मेसी संकाय के सदस्यों/डिमॉन्स्ट्रेटर एवं गैर–शैक्षणिक ग्रुप 'ए' व 'बी' कार्मिकों को विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 132/यूपीयूएमएस/प्रशासन(325–सी0डी0)/2025–26 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के माध्यम से कॉन्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु दी गई सुविधाओं को शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक स्थगित करने एवं वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में प्रकरण शासन को संदर्भित करने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 2139 दिनांक 10.08.2026 के द्वारा कॉन्फ्रेंस आदि में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व में दी गई सुविधाओं को शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक स्थगित किया गया है। • शासन को पत्र सं0 2191/**E** दिनांक 13.08.2026 प्रेषित किया गया है।
		(16–13)	**श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने के प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने एवं प्रकरण में निर्णय लिए जाने के संबंध में।** <u>निर्णयः–</u> श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान Colour Vision: Partial red green colour blindness पाये जाने के प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई। प्रकरण में विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश दिए गए कि	**कार्यान्वित (Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 144 दिनांक 12.08.2026 के माध्यम से श्री मलय कुमार राय, नर्सिंग ऑफिसर को Restricted Posting के अन्तर्गत उनकी पोस्टिंग ऑर्थो0 ओ0पी0डी0/ प्लास्टर रूम में कर दी गई है। • श्री मलय कुमार राय का चयन EWS श्रेणी के अन्तर्गत हुआ था, इनका EWS प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु तहसीलदार सगड़ी, आजमगढ़ को पत्र दिनांक 15.12.2025, 16.04. 2026 एवं 30.05.2026 को पत्र

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td></td><td>प्राप्त विधिक राय एवं प्रकरण में जाँच / परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा / संस्तुति / निष्कर्ष के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।</td><td>प्रेषित किए गए, प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर जिलाधिकारी, आजमगढ़ को पत्र दिनांक 13.08.2026 प्रेषित किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(16–14)</td><td>डॉ0 अनामिका सिंह, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग द्वारा 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायत के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही के संबंध में मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने के संबंध में।

<u>निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आख्या के क्रम में उक्त शिकायत को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देश दिए गए कि अन्य चिकित्सा संस्थानों में 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' के संचालन के संबंध में नियमों / एस0ओ0पी0 आदि का अध्ययन कर एस0ओ0पी0 बनाते हुए तद्नुसार 'स्लीप मेडिसिन यूनिट' के संचालन की कार्यवाही की जाए।</td><td>कार्यान्वित (Implemented)
• कार्यालय आदेश सं0 305 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा Sleep Disorder Centre की अनुमोदित एस0ओ0पी0 को लागू कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(16–15)</td><td>दिनांक 28.03.2026 को सम्पन्न कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक में एजेण्डा बिंदु–1 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में घटित घटना के क्रम में कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप पत्रों पर अनुमोदन के संबंध में।

<u>निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा संबंधित 14 कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत तैयार किए गए आरोप पत्रों का अवलोकन करते हुए आरोप पत्रों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त आरोप पत्र संबंधित कार्मिकों को जारी किए जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।</td><td>समस्त संबंधित कार्मिकों को निम्नलिखित विवरणानुसार आरोप पत्र जारी हो चुके हैं:–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>कार्मिक का नाम</th><th>आरोप पत्र सं0 एवं दिनांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डॉ0 अरूण कुमार मिश्रा</td><td>1774 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">अभ्युक्ति– उत्तर अप्राप्त है। पत्र सं0 389 दिनांक 17.08.26 के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र प्राप्ति के तीन दिवसों के अन्दर प्रतिउत्तर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्रीमती ममता राय यादव</td><td>1775 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री अनुराग प्रताप सिंह</td><td>1776 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्री चन्द्र प्रकाश कुमावत</td><td>1787 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>श्रीमती संध्या अग्निहोत्री</td><td>1788 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री अतुल कुमार शुक्ला</td><td>1789 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>7</td><td>श्रीमती मोनिका वर्मा</td><td>1790 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>8</td><td>श्रीमती दीप्ति गुप्ता</td><td>1791 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>9</td><td>सुश्री प्रियंका कुमारी</td><td>1792 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>10</td><td>सुश्री सुमन मौर्या</td><td>1793 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>11</td><td>श्री अजय त्रिपाठी</td><td>1794 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>12</td><td>श्री दिलीप कुमार मिश्रा</td><td>1795 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>13</td><td>सुश्री हेमलता</td><td>1796 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>14</td><td>सुश्री मनप्रीत कौर</td><td>1797 / 20.07.2026</td></tr>
</table>
अभ्युक्ति–
1. संबंधित कार्मिकों द्वारा पत्र दिनांक 13.08.2026 के माध्यम से पत्रावली / अभिलेखों का अवलोकन करने की अनुमति एवं समय अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में पत्र सं0 390 दिनांक 17.08.26 के माध्यम</td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>से 19.08.26 का समय पत्रावली/अभिलेखों का अवलोकन किये जाने हेतु निर्धारित किया गया है तथा समय अवधि 23.08.26 तक विस्तारित की गयी है।
2. संबंधित कार्मिकों से प्रत्युत्तर दिनांक 28.08.2026 को प्राप्त हो चुके है। प्राप्त प्रत्युत्तरों, तथ्यों एवं अभिलेखीय परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही जाँच की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>(16–16)</td>
<td>दिनांक 28.03.2026 को सम्पन्न कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक में एजेण्डा बिंदु–2 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के लेक्चर थियेटर–2 में दिनांक 29.01.2026 को छात्रों के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किए जाने की गंभीर घटना के क्रम में कार्मिकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप पत्रों पर अनुमोदन के संबंध में।
<u>निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद द्वारा संबंधित 07 कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत तैयार किए गए आरोप पत्रों का अवलोकन करते हुए आरोप पत्रों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त आरोप पत्र संबंधित कार्मिकों को जारी किए जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।</td>
<td>समस्त संबंधित कार्मिकों को निम्नलिखित विवरणानुसार आरोप पत्र जारी हो चुके हैं:–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>कार्मिक का नाम</th><th>आरोप पत्र सं0 एवं दिनांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डॉ0 नरेश पाल सिंह</td><td>1780 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>2</td><td>डॉ0 निशा यादव</td><td>1781 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>डॉ0 शबाना अंदलीब अंसारी</td><td>1782 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्री नंद किशोर गुप्ता</td><td>1783 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डॉ0 रूपक अग्रवाल</td><td>1784 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री प्रेम पाल सिंह</td><td>1785 / 20.07.2026</td></tr>
<tr><td>7</td><td>डॉ0 सोमेन्द्र पाल सिंह</td><td>1786 / 20.07.2026</td></tr>
</table>
अभ्युक्ति–
• डॉ0 रूपक अग्रवाल, प्रोफेसर, पैथोलॉजी द्वारा पत्र दिनांक 30.07.2026, डॉ0 शबाना अंदलीब अंसारी, एसोसिएट प्रोफेसर, पैथोलॉजी द्वारा पत्र दिनांक 07.08.2026 एवं डॉ0 सोमेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग) द्वारा पत्र दिनांक 12.08.2026 के माध्यम से अपने स्पष्टीकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं।
• डॉ0 निशा यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 31.07.2026, श्री नंद किशोर गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनाटॉमी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 07.08.2026, डॉ0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग (निलम्बित) द्वारा पत्र दिनांक 08.08.2026 तथा श्री प्रेम पाल सिंह, सहायक सुरक्षा अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 29.07.2026 के माध्यम से अभिलेख/साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है।
• उपर्युक्त 04 संकाय सदस्यों/कार्मिकों को अभिलेखों/साक्ष्यों के अवलोकन हेतु दिनांक 02.09.2026 का समय दिया गया है तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु समयावधि दिनांक 09.09.2026 तक विस्तारित की गई है।</td>
</tr>
<tr>
<td>(16–17)</td>
<td>श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत), अभियंत्रण विभाग के विरुद्ध संस्थित जाँच में नामित जाँच अधिकारी की जाँच रिपोर्ट को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण</td>
<td>कार्यान्वित (Implemented)
• कार्यालय आदेश सं0 1938 दिनांक 27.07.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता</td>
</tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		अमान्य/शून्य घोषित करते हुए निरस्त किए जाने तथा प्रकरण में नए सिरे से जाँच संस्थित करने हेतु किसी अन्य अधिकारी को जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के संबंध में। निर्णयः— (1) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण से अवगत होते हुए जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट दिनांक 23 मार्च, 2026 को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अमान्य/शून्य घोषित करते हुए निरस्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा निर्देशों का पालन न करने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए गए। (3) प्रकरण में श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरूद्ध नए सिरे से जाँच संस्थित करने हेतु डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री संदीप कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	अधिकारी नामित किए गए हैं। • अपचारी कार्मिकों को दिया जाने वाला आरोप पत्र तैयार कर **एजेण्डा बिंदु 17–10** के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। • पूर्व जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा निर्देशों का पालन न करने के कारण पत्र सं0 2231 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।
	(16–18)	**मो० कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) के संबंध में कार्य परिषद की तेरहवीं बैठक में एजेण्डा बिंदु 13–44 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 13.11.2025 द्वारा अधिरोपित दीर्घ शास्ति के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रत्यावेदनों के अवलोकनोपरान्त प्रकरण आई0सी0सी0 को संदर्भित किए जाने तथा आई0सी0सी0 की रिपोर्ट आने तक अधिरोपित दीर्घ शास्ति को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के संबंध में।** निर्णयः— मो0 कलीम फारूकी, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (कार्डियोलॉजी) द्वारा दण्डादेश जारी होने के उपरांत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन/आपत्ति पत्रों के क्रम में पुनर्परीक्षण किए जाने हेतु प्रकरण आन्तरिक शिकायत समिति को संदर्भित करने तथा आन्तरिक	कार्यान्वित **(Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 2089 दिनांक 06.08.2026 के द्वारा मो0 कलीम फारूकी को कार्यालय आदेश दिनांक 13. 11.2025 के द्वारा पारित दण्डादेश को अस्थायी रूप से स्थगित करते हुए पुनर्परीक्षण हेतु प्रकरण आन्तरिक शिकायत समिति को संदर्भित किया गया। • अध्यक्ष, आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा पत्र दिनांक 11. 08.2026 के माध्यम से पुनर्परीक्षण हेतु मो0 कलीम फारूकी से संबंधित पत्रावली/प्रार्थना पत्र/ प्रत्यावेदन/आपत्ति पत्रों आदि को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		शिकायत समिति द्वारा जब तक प्रकरण में दोबारा निर्णय न ले लिया जाए तब तक कार्यालय आदेश सं0 3717/UPUMS/Estt-7/(01)/2025-26 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा पारित दण्डादेश को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	• पत्र दिनांक 31.08.2026 के माध्यम से अध्यक्ष, आन्तरिक समिति को संबंधित पत्रावली/प्रार्थना पत्र/प्रत्यावेदन/आपत्ति पत्र आदि पुनर्परीक्षण हेतु प्रेषित किए जा चुके है।
	(16–19)	**सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) के विरूद्ध श्री विवेक कुमार, ग्राम पोदला, मैनपुरी एवं श्री ओरी लाल, एस0टी0ओ0 (रेडियोलॉजी) द्वारा दिनांक 14.05. 2025 को की गई शिकायत के क्रम में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की आख्या के क्रम में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित किए जाने के सम्बन्ध में।** निर्णयः– (1) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच आख्या दिनांक 22. 09.2025 के आधार पर मा0 कार्य परिषद सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु श्री के0बी0 अग्रवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को जाँच अधिकारी एवं श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यान्वित **(Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 2162 दिनांक 10.08.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं। • अपचारी कार्मिकों को दिया जाने वाला आरोप पत्र तैयार कर **एजेण्डा बिंदु 17–11** के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	(16–20)	**विश्वविद्यालय के चिकित्सालय/ मेडिकल कॉलेज में स्थापित लिफ्टों के अक्रियाशील होने के कारण आपातकालीन संकट उत्पन्न होने तथा पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता बरतने एवं लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना के संबंध में अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित अभियंताओं द्वारा कर्तव्यों एवं दायित्वों में लापरवाही बरतने के क्रम में दोषी अभियंताओं के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित किए जाने विषयक।** निर्णयः– (1) विश्वविद्यालय की	कार्यान्वित **(Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 1928 दिनांक 27.07.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं। • आरोप पत्र तैयार किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr><td></td><td></td><td>लिफ्टों का अक्रियाशील होने और लिफ्टों में ए0आर0डी0 सिस्टम की स्थापना में उपरोक्त वर्णित गंभीर तथ्यों, और स्थिति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत तीनों दोषी अभियंताओं (अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता–विद्युत एवं कनिष्ठ अभियंता–विद्युत) के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 प्रशान्त कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री अतुल कुमार वर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(16–21)</td><td>कार्य परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के टेबल एजेण्डा–15. 2(T) (फर्म मे0 टी0सी0एस0 कम्पनी के माध्यम से करायी गयी विभिन्न परीक्षाओं में वित्तीय अनियमितता एवं अन्य संबंधित बिंदुओं की जाँच) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में गठित समिति की जाँच रिपोर्ट / निष्कर्षों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने एवं प्रकरण में जाँच संस्थित किए जाने के संबंध में।

<u>निर्णयः–</u> (1) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा० कार्य परिषद अवगत हुई।

(2) उक्त प्रकरण के अतिगंभीर प्रकृति एवं नीतिगत होने के क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरांत प्रकरण में विस्तृत जाँच की आवश्यकता के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में जाँच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के संबंध में मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</td><td>मा0 कुलपति महोदय द्वारा पत्र सं0 181 दिनांक 09.07.2026 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कार्यालय आदेश सं0 4797 / यूपीयूएमएस / प्रशासन(462) / 2021–22 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा गठित नवीन समिति के समस्त सदस्यों को कारण बताओ नोटिस निम्नलिखित विवरणानुसार जारी किए गएः–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>कार्मिक का नाम</th><th>कारण बताओ नोटिस सं0 एवं दिनांक</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री विजय कुमार श्रीवास्तव</td><td>1413/E Dt. 20.07.2026</td><td>प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री सुरेश चन्द्र शर्मा</td><td>1414/E Dt. 20.07.2026</td><td>प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>डॉ0 कमला पाठक</td><td>1415/E Dt. 20.07.2026</td><td>प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ</td></tr>
<tr><td>4</td><td>डॉ0 धीरज श्रीवास्तव</td><td>1777/E Dt. 20.07.2026</td><td>अभिलेख मांगे गए है</td></tr>
<tr><td>5</td><td>श्री सेम्बियन एन0</td><td>1778/E Dt. 20.07.2026</td><td>अभिलेख मांगे गए है</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री जितेन्द्र प्रसाद मथुरिया</td><td>1779/E Dt. 20.07.2026</td><td>अभिलेख मांगे गए है</td></tr>
</table>
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एवं डॉ0 कमला पाठक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अनुस्मारक पत्र दिनांक 31.08. 2026 प्रेषित किए गए।
जाँच रिपोर्ट के क्रम में उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित को कारण</td></tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>बताओ नोटिस जारी किए गए हैः–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>नाम</th><th>कारण बताओ नोटिस सं0 एवं दिनांक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डॉ0 नन्द किशोर गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (सा0प्र0)</td><td>2531 दिनांक 31.08. 2026</td></tr>
<tr><td>2</td><td>डॉ0 चन्द्रवीर सिंह, तत्कालीन कुलसचिव</td><td>2532 दिनांक 31.08. 2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>डॉ0 पी0के0 सिंह, तत्कालीन कुलपति</td><td>2427/E दिनांक 31. 08.2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>डॉ0 पी0के0 जैन, तत्कालीन कुलपति</td><td>2533 दिनांक 31.08. 2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डॉ0 रमाकान्त यादव, तत्कालीन कुलपति</td><td>2534 दिनांक 31.08. 2026</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक</td><td>2535 दिनांक 31.08. 2026</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालीन जूनियर एकाउन्ट आफिसर</td><td>2536 दिनांक 31.08. 2026</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>श्री जगरोपन राम, वित्त अधिकारी</td><td>2428/E दिनांक 31. 08.2026</td></tr>
</table>
• जाँच अधिकारी नामित करने हेतु शासन को पत्र सं0 471/E दिनांक 31.08.2026 प्रेषित किया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(16–22)</td>
<td>कार्य परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के टेबल एजेण्डा–15. 3(T) (विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 37/UPUMS/Paramedical/ Pharmacy/2024-25 दिनांक 20.06. 2024 के अन्तर्गत की गयी भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायत) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में गठित समिति की जाँच रिपोर्ट/निष्कर्षों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराए जाने एवं प्रकरण में जाँच संस्थित किए जाने के संबंध में।
<u>निर्णयः–</u> (1) विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से मा० कार्य परिषद अवगत हुई।
(2) उक्त प्रकरण के अतिगंभीर प्रकृति एवं नीतिगत होने के क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरांत प्रकरण में विस्तृत जाँच की आवश्यकता के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण में जाँच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के संबंध में मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</td>
<td>• जाँच अधिकारी नामित करने हेतु शासन को पत्र सं0 384/E/यूपीयूएमएस/ VCO/2026–27 दिनांक 17.07.2026 प्रेषित किया गया। प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर जाँच अधिकारी नामित करने हेतु शासन को पुनः पत्र सं0 468/E/यूपीयूएमएस/VCO/2026–27 दिनांक 24.08. 2026 प्रेषित किया गया है।</td>
</tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	(16–23)	**डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) के विरुद्ध की गई शिकायत की जाँच हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या के आधार पर डॉ0 विवेक कुमार के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अनुसार विभागीय जाँच संस्थित किये जाने के संबंध में।** निर्णयः– डॉ0 विवेक कुमार द्वारा उक्त केस में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनाने हेतु अधिकृत न होने तथा विश्वविद्यालय की निहित व्यवस्था का पालन न करने, कैजुअल्टी के पर्चे पर बिना अवधि विस्तारित किये लगातार इलाज करने और डिग्री न होने पर finding देना मात्र प्रक्रियात्मक चूक न होने, बल्कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आने के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद द्वारा इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 दुर्गेश कुमार, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक्स विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार, सहा0 प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यान्वित **(Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 1836 दिनांक 22.07.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं। • अपचारी कार्मिक को दिया जाने वाला आरोप पत्र तैयार कर **एजेण्डा बिंदु 17–12** के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	(16–24)	**विश्वविद्यालय के 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विद्युत सेवाओं (एच०टी०/एल०टी० सबस्टेशन और 11 नग डी०जी० सेट्स) के हस्तांतरण की प्रक्रिया में हुए अत्यधिक विलम्ब, अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य समन्वय के अभाव और तथ्यों को छुपाने जैसे गंभीर प्रकरणों के दृष्टिगत प्रकरण में तथ्यों के परीक्षण के संबंध में गठित Fact Finding Committee की आख्या के क्रम में प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय जाँच संस्थित किए जाने के संबंध में।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा Fact Finding Committee की संस्तुति के क्रम में प्रकरण की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय जाँच संस्थित करने का अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को	कार्यान्वित **(Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 1930 दिनांक 27.07.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं। • अपचारी कार्मिकों को दिया जाने वाला आरोप पत्र तैयार कर **एजेण्डा बिंदु 17–13** के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	जाँच अधिकारी एवं श्री मिथलेश दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
(16–25)	**विश्वविद्यालय के दो आचार्यों–डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) द्वारा चीफ वार्डन के दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता, निविदा प्रक्रिया में असहयोग तथा आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण अस्वीकृत होने के उपरांत आगामी अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।** निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) द्वारा चीफ वार्डन के दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता, निविदा प्रक्रिया में असहयोग तथा आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता करने के क्रम में इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 रमाकांत यादव, प्रति–कुलपति को जाँच अधिकारी एवं श्री बीरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** • कार्यालय आदेश सं0 1994 दिनांक 29.07.2026 के द्वारा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किए गए हैं। • अपचारी कार्मिकों को दिया जाने वाला आरोप पत्र तैयार कर **एजेण्डा बिंदु 17–14** के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
(16–26)	**उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) तथा AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) की स्थापना एवं राज्य के अन्य संस्थानों हेतु Scalable Framework विकसित किए जाने के संबंध में।** निर्णयः– (1) Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) एवं AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) परियोजना की वर्तमान प्रगति एवं अब तक की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई।	**कार्यान्वित (Implemented)** • UPDESCO PMA के रूप में कार्य कर रही है एवं निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। • UPDESCO के पक्ष में प्रस्तावित Letter of Intent -पत्र सं0 1123 दिनांक 01.07. 2026 जारी कर दिया गया है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

		(2) मा0 कार्य परिषद द्वारा UPDESCO को लागू शासनादेशों, वित्तीय नियमों, GFR- 2017, GeM एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप उक्त परियोजना हेतु Procurement Support Agency / Project Management Agency के रूप में कार्य करने तथा निविदा प्रक्रिया संपादित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। (3) मा0 कार्य परिषद द्वारा UPDESCO के पक्ष में प्रस्तावित Letter of Intent / In-Principle Commitment जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	
	(16–27)	**ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण के कार्य का प्रस्ताव।** निर्णयः– (1) पूर्व में In house ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) गतिविधियों के संचालन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से एफ.एम.आर.कोड 156.4 के अंतर्गत अनुमानित धनराशि रू0 1,90,00,000/– (एक करोड़ नब्बे लाख रूपये) आवंटित/स्वीकृत करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई। (2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जब तक प्रस्तावित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक अंतरिम अवधि में टेस्ट के संचालन हेतु वित्तीय मद/फंड के निर्धारण में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण, उक्त प्रकरण को विश्वविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु मा० कार्य परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।	कार्यान्वित **(Implemented)** • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में तब तक अंतरिम अवधि में टेस्ट के संचालन हेतु वित्तीय मद/फंड के निर्धारण हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष सातवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में एजेण्डा बिंदु 7–4 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा चुका है।
	(16–28)	**उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में Enhanced Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं Programme Implementation Agency (PIA) के चयन हेतु प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया के संबंध में।** निर्णयः– (1) उन्नत Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं क्रियान्वयन के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही एवं प्रगति के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत हुई। (2) Programme Implementation	कार्यान्वित **(Implemented)** • जेम पोर्टल पर निविदा सं0 GEM/2026/B/7917047 दिनांक 14.08.2026 को प्रकाशित की जा चुकी है। निविदा की अंतिम तिथि 04.09.2026 निर्धारित है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

		Agency (PIA) के चयन हेतु तैयार किए जा रहे RFP एवं प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया की प्रगति के संबंध में मा0 कार्य परिषद अवगत हुई। (3) RFP के अंतिम रूप प्रदान किए जाने के उपरांत लागू नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने की प्रस्तावित कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	(16–29)	**दिनांक 25.04.2026 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में एजेण्डा बिंदु–15–14 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुपालन में श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप पत्रों पर अनुमोदन के संबंध में।** <u>निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत तैयार किए गए आरोप पत्र का अवलोकन करते हुए आरोप पत्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त आरोप पत्र संबंधित कार्मिकों को जारी किए जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।	कार्यान्वित **(Implemented)** • श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 को आरोप पत्र सं0 1740 दिनांक 17.07.2026 जारी किया जा चुका है। • श्री बालेन्द्र तिवारी को आदेश सं0 1739 दिनांक 17.07.2026 के द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। उक्त पर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु **एजेण्डा बिंदु 17–9** प्रस्तुत है।
	टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)		
	टेबल एजेण्डा–16.1(T)	**उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के Environmental Clearance एवं UPPCB NOC उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।** <u>निर्णयः–</u> मा0 कार्य परिषद द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 आई/1316504/2026/71–4099/692/2021 दिनांक 04.05.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं के अवलोकनोपरान्त कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	• प्रकरण में गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट शासन को पत्र सं0 383 दिनांक 15.07.2026 के माध्यम से अवलोकनार्थ एवं दिशा–निर्देशन हेतु प्रेषित की गई। • रिपोर्ट से यह संज्ञान में आया है कि इस प्रकरण में जिन कार्मिकों/अधिकारियों की भूमिका की जाँच की जानी है, उनमें विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी/वरिष्ठतम आचार्य भी सम्मिलित है, जिसके क्रम में प्रकरण की जाँच हेतु शासन स्तर से जाँच अधिकारी नामित करने हेतु शासन को पत्र सं0 406 दिनांक 13.08.2026 प्रेषित किया गया है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	टेबल एजेण्डा–16.2(T)	**विश्वविद्यालय के गैर–नीतिगत मामलों में रजिस्ट्रार (कुलसचिव) को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु डिप्टी–रजिस्ट्रार नामित किए जाने के संबंध में।** **<u>निर्णयः–</u>** गैर–नीतिगत मामलों में रजिस्ट्रार (कुलसचिव) को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने हेतु डॉ0 विक्रम सिंह राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग को उनके पदीय दायित्वों के साथ बिना किसी वित्तीय लाभ के डिप्टी–रजिस्ट्रार नामित किए जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं0 1566 दिनाक 09.07.2026)
	टेबल एजेण्डा–16.3(T)	**विश्वविद्यालय के कार्मिकों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित आरोप पत्रों को कुलसचिव के हस्ताक्षर से निर्गत/जारी करने हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।** **<u>निर्णयः–</u>** विभागीय जाँच के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए कार्मिकों के आरोप पत्रों पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त, आरोप पत्रों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें नियमानुसार निर्गत/जारी करने हेतु कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा को अधिकृत किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश सं0 1929 दिनाक 27.07.2026)

<u>प्रस्ताव–</u> कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 में लिये गये निर्णयों की उपर्युक्त अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु 17–3</u> **वित्त समिति की सातवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना**	• अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सातवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। • विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सातवीं बैठक दिनांक 21.08. 2026 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। **<u>प्रस्तावः</u>** वित्त समिति की सातवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में एजेण्डा बिंदु 7–1 से 7–8 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> वित्त समिति की सातवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में एजेण्डा बिंदु 7–1 से 7–8 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

एजेण्डा बिन्दु 17–4 **विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में लिये गये निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 को आयोजित की गयी जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया। • विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। **प्रस्तावः** विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– **विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में लिये गये निर्णयों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
एजेण्डा बिन्दु 17–5 **हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.08.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.08.2026 को आयोजित की गयी, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा संस्तुति की गई। • विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.08.2026 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ रक्षित है। **प्रस्तावः** हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.08.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– **हॉस्पिटल बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 24.08.2026 में की गई संस्तुतियों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
एजेण्डा बिन्दु 17–6 **कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो को मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के उपरांत विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यालय आदेश निर्गत किये गये हैं, जिन्हें मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **नियमः** विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उक्त कार्यालय आदेशों को निर्गत किया जाना आवश्यक है। **प्रस्ताव का आधारः** प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में मा0 कुलपति महोदय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्गत किये गये कार्यालय आदेशों को एजेण्डा बिन्दु के रूप में मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त कार्यालय आदेश अलग बुकलेट में प्रस्तुत हैं। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** मा० कुलपति महोदय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो को मा0 कार्य परिषद अवलोकित करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– **मा० कुलपति महोदय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये गए विभिन्न कार्यालय आदेशो को मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
एजेण्डा बिन्दु 17–7 **श्री कृष्ण पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता के निलम्बन के सम्बन्ध में मा० कार्य परिषद के अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।**	**विवरण–** विश्वविद्यालय की मा० कार्यपरिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 एवं सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के कार्यवृत्त के क्रमशः एजेण्डा बिन्दु 15–19, 16–20 एवं 16–24 के अंतर्गत अभियंत्रिकी विभाग से संबंधित प्रकरणों के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि श्री के० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितता, लापरवाही, पर्यवेक्षणीय शिथिलता, उदासीनता तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुपालन में गंभीर त्रुटियाँ परिलक्षित पायी गयी है तथा

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

उनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप पाये गये हैं:–

1. विश्वविद्यालय परिसर के भवनों में स्थापित 850 KW रुफ टाप सोलर प्लांट के सुचारु संचालन एवं रख–रखाव (One-time Maintenance तथा CMC) की निविदा प्रक्रिया को लम्बे समय तक लम्बित रखना।
2. तकनीकी विशेषज्ञ होने के बावजूद 'Revised Tender Documents' और स्पेसिफिकेशन में संशोधन हेतु एक माह का समय लिया जाना।
3. प्रकरण का प्रभावी अनुश्रवण (Monitoring) न करना तथा उच्चाधिकारियों को विलम्ब के कारणों से समय पर अवगत न कराना (पर्यवेक्षीय शिथिलता)।
4. पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में लिफ्टों का अक्रियाशील होना और आपातकालीन संकट उत्पन्न होना।
5. मैसर्स ओटिस एलीवेटर को भुगतान की पत्रावली मई से जुलाई–2025 तिमाही को अगस्त के स्थान पर अक्टूबर–2025 में प्रस्तुत कर तीन माह का अनावश्यक विलम्ब करना तथा उच्चाधिकारियों को समय पर अलर्ट न करना।
6. लिफ्टों में एआरडी सिस्टम की स्थापना हेतु सौपें गये कार्यों में लापरवाही बरतना तथा पत्रावली में भुगतान की स्पष्ट संस्तुति न देकर मात्र उन्हें आगे अग्रसारित करना।
7. 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी ब्लाक की विद्युत सेवाओं (एच०टी०/एल०टी सब–स्टेशन एवं 11 नग डी०जी० सेटस) के कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०) से हस्तांतरण की प्रक्रिया हेतु 01 वर्ष तक पत्रावली लम्बित रखना।
8. अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य समन्वय का पूर्ण अभाव होने और तथ्यों को छुपाने सम्बन्धी कृत्य।
9. तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिग कमेटी की आख्या में निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण कार्य पूर्ण न करने तथा अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही न करने के आरोप।

<u>नियम–</u>

- The U.P. Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999 के नियम–6 के अनुसार– **"Disciplinary authority.** - The appointing authority of a Government servant shall be his disciplinary authority, who, subject to the provisions of these rules, may impose any of the penalties specified in Rule 3 on him :Provided that no person shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was actually appointed :Provided further that the Head of Department notified under the Uttar Pradesh Class II Services (Imposition of Minor Punishment) Rules, 1973, subject to the provisions of these rules, shall be empowered to impose minor penalties mentioned in Rule 3 of these rules :Provided also that in case of a Government servant belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Government, by a notified order, may delegate the power to impose any penalty, except dismissal or removal from service under these rules, to any authority subordinate to the appointing authority and subject to such conditions as may be prescribed therein."
- उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	अधिनियम–2015 की धारा 22(1)(अ) में यह व्यवस्था की गई है कि माननीय कार्य परिषद विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत है। अतः उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के दृष्टिगत, चूंकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की नियुक्ति हेतु माननीय कार्य परिषद सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए संबंधित प्रकरण में माननीय कार्य परिषद ही अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में सक्षम होगी तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत होगी। **कृत कार्रवाई–** उपरोक्त गंभीर अनुशासनहीनता एवं लोक सेवक के प्रतिकूल आचरण के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त पत्र संख्या 1764/यूपीयूएमएस/अधि–05(153)/2026–27 दिनांक 18.07.2026 द्वारा श्री कृष्ण पाल सिंह, अधिशासी अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर एनाटॉमी विभाग, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान सैफई, इटावा के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। तत्पश्चात, कार्यालय आदेश संख्या–2381/यूपीयूएमएस/अधि–05(153)/2026–27 दिनांक 20.08.2026 के माध्यम से श्री कृष्ण पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। श्री कृष्ण पाल सिंह, अधिशासी अभियंता की निलम्बन अवधि में अधिशासी अभियंता के समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन हेतु श्री अताउर्रहमान, सहायक अभियंता (सिविल) को नामित किया गया है। **प्रस्ताव–** श्री कृष्ण पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, के विरुद्ध की गई उक्त निलम्बन की कार्रवाई तथा जारी किए गए आदेश दिनांक 18.07.2026 को मा० कार्य परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत।
कार्य परिषद का निर्णयः– **श्री कृष्ण पाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध की गई उक्त निलम्बन की कार्यवाही तथा जारी किए गए आदेश दिनांक 18.07.2026 को मा० कार्य परिषद द्वारा अवलोकित करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
एजेण्डा बिन्दु 17–8 **श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के निलम्बन के सम्बन्ध में मा० कार्य परिषद के अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।**	विवरण/पृष्ठभूमि– 1. दिनांक 08.07.2026 को विश्वविद्यालय की ओल्ड बिल्डिंग स्थित आई.सी.यू. एवं ऑपरेशन थियेटरों में लगभग 40 मिनट तक विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिससे उपचाराधीन मरीजों के जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न होने की स्थिति बनी। इस संदर्भ में श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में गंभीर शिथिलता परिलक्षित हुई है। 2. मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान श्री नरसिंह यादव द्वारा यह कथन किया गया कि चिकित्सालय एवं उससे संबंधित विभागों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यू.पी.एस. क्रय करने की जिम्मेदारी चिकित्सा अधीक्षक की है। यह कथन उनके सौंपे गए दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता के अभाव एवं अपने कर्तव्यों से विमुख होने को प्रदर्शित करता है। 3. चिकित्सालय के आई.सी.यू. एवं ऑपरेशन थियेटर जैसे अति संवेदनशील विभागों में लगभग 40 मिनट तक विद्युत आपूर्ति

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	बाधित रही, जिससे उपचाराधीन मरीजों के जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका बनी रही। ऐसी परिस्थितियों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है तथा यह संबंधित विद्युत अनुभाग की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समीक्षा बैठक में श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) द्वारा दिया गया उपर्युक्त कथन उनके सौंपे गए दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के अभाव को प्रदर्शित करता है। 4. इस क्रम में उनके द्वारा विद्युत व्यवस्था के सुरक्षित एवं सतत संचालन के संबंध में अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करने के स्थान पर संपूर्ण उत्तरदायित्व अन्य अधिकारी पर आरोपित करने का प्रयास किया गया, जो कि एक अत्यंत गैर–जिम्मेदाराना एवं कर्तव्यविमुख आचरण का द्योतक है। **नियम–** • The U.P. Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999 के नियम–6 के अनुसार– **"Disciplinary authority.** - The appointing authority of a Government servant shall be his disciplinary authority, who, subject to the provisions of these rules, may impose any of the penalties specified in Rule 3 on him :Provided that no person shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was actually appointed :Provided further that the Head of Department notified under the Uttar Pradesh Class II Services (Imposition of Minor Punishment) Rules, 1973, subject to the provisions of these rules, shall be empowered to impose minor penalties mentioned in Rule 3 of these rules :Provided also that in case of a Government servant belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Government, by a notified order, may delegate the power to impose any penalty, except dismissal or removal from service under these rules, to any authority subordinate to the appointing authority and subject to such conditions as may be prescribed therein." • उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा अधिनियम–2015 की धारा 22(1)(अ) में यह व्यवस्था की गई है कि माननीय कार्य परिषद विश्वविद्यालय के अधिकारियोंध्कार्मिकों की नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत है। अतः उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के दृष्टिगत, चूंकि विश्वविद्यालय के अधिकारियों / कार्मिकों की नियुक्ति हेतु माननीय कार्य परिषद सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए संबंधित प्रकरण में माननीय कार्य परिषद ही अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में सक्षम होगी तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत होगी। **कृत कार्रवाई–** उपरोक्त गंभीर अनुशासनहीनता एवं लोक सेवक के प्रतिकूल आचरण के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त पत्र संख्या 1765 / यूपीयूएमएस / अधि–05(150) / 2026–27 दिनांक 18.07.2026 द्वारा श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान सैफई, इटावा के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) की निलम्बन अवधि में सहायक अभियंता (विद्युत) के समस्त कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु श्री शोभित कुमार कनौजिया, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) को नामित

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>किया गया है।

<u>प्रस्ताव–</u>

1. श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध की गई उक्त निलम्बन की कार्रवाई तथा जारी किए गए आदेश दिनांक 18.07.2026 को मा० कार्य परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. मा० कार्य परिषद श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकरण में विभागीय जाँच की कार्यवाही हेतु जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नामित करना चाहें।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> (1) श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध की गई उक्त निलम्बन की कार्यवाही तथा जारी किए गए आदेश दिनांक 18.07.2026 को मा० कार्य परिषद द्वारा अवलोकित करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
(2) मा० कार्य परिषद द्वारा श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियन्ता (विद्युत) के विरुद्ध उक्त प्रकरण में विभागीय जाँच की कार्यवाही हेतु डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री के0बी0 अग्रवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 17–9</u>
श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के निलम्बन की कार्यवाही का कार्योत्तर अनुमोदन तथा निलम्बन अवधि में बिना पूर्व अनुमति / स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के संबंध में तैयार किए गए पूरक आरोप–पत्र के अनुमोदन के संबंध में।</td>
<td><u>विवरण / पृष्ठभूमिः</u>
1. विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय परिसर में दिनांक 26.02.2026 को श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 एवं श्री गौरव कुमार बाजपेयी, लाइब्रेरी क्लर्क के मध्य मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की घटना घटित हुई। उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि उक्त घटना के दौरान श्री बालेन्द्र तिवारी द्वारा श्री गौरव कुमार बाजपेयी के साथ हाथापाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें शारीरिक क्षति पहुँची।
2. घटना के दौरान श्री गौरव कुमार बाजपेयी के वस्त्र भी फाड़ दिये गये। घटना के उपरान्त उन्हें उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उनके चिकित्सकीय परीक्षण में बाएँ कान एवं बाएँ हाथ में चोट होना पाया गया। प्रकरण में गठित जाँच समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि श्री गौरव कुमार बाजपेयी को हुई शारीरिक क्षति के लिए श्री बालेन्द्र तिवारी उत्तरदायी हैं।
3. इसके अतिरिक्त, दिनांक 13.05.2026 को श्री बालेन्द्र तिवारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशों एवं उन्हें आवंटित शासकीय कार्यों की अवहेलना करते हुए यह कहा गया कि "मैं कोई कार्य नहीं करूँगा तथा कोई डाक प्राप्त नहीं करूँगा।" उक्त आचरण शासकीय सेवा के अनुरूप न होकर कार्य के प्रति उदासीनता, अनुशासनहीनता तथा उच्चाधिकारियों के वैध आदेशों की अवज्ञा को प्रदर्शित करता है।
4. उपर्युक्त गंभीर अनुशासनहीनता एवं शासकीय सेवक के प्रतिकूल आचरण के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत मा0 कुलपति महोदय के पूर्वानुमोदनोपरान्त कुलसचिव कार्यालय के पत्रांक 1739 / UPUMS / Estt.-</td>
</tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

7/(2101)/2026–27 दिनांक 17.07.2026 द्वारा श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए नर्सिंग संकाय, UPUMS से सम्बद्ध कर दिया गया।

5. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–6 के अनुसार, शासकीय सेवक की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होता है तथा वह नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियम–3 में विनिर्दिष्ट दण्ड अधिरोपित करने हेतु सक्षम होता है।
6. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा 22(1)(अ) में मा0 कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त वैधानिक प्रावधानों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी होने के कारण मा0 कार्यपरिषद संबंधित कार्मिक के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में सक्षम है तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है।

<u>निलम्बन अवधि में अनुपस्थिति का प्रकरण</u>

7. श्री बालेन्द्र तिवारी को निलम्बन आदेश दिनांक 17.07.2026 के माध्यम से नर्सिंग संकाय, UPUMS से सम्बद्ध किया गया था। निलम्बन अवधि में संकायाध्यक्ष, नर्सिंग संकाय द्वारा पत्र संख्या 255/Nursing/UPUMS/2025–26 दिनांक 28.07.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री बालेन्द्र तिवारी दिनांक 20.07.2026 से 26.07.2026 तक नर्सिंग संकाय में अनुपस्थित रहे।
8. उक्त अनुपस्थिति के संबंध में श्री बालेन्द्र तिवारी से पत्र संख्या 2309/UPUMS/Estt.–7/(2101–CD)/2026–27 दिनांक 14.08.2026 द्वारा निलम्बन अवधि में बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया था। इसके क्रम में श्री बालेन्द्र तिवारी द्वारा दिनांक 18.08.2026 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।
9. प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण के उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि श्री बालेन्द्र तिवारी निलम्बन अवधि में उन्हें सम्बद्ध किये गये नर्सिंग संकाय से दिनांक 20.07.2026 से 26.07.2026 तक बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहे। अतः उक्त कृत्य निलम्बन अवधि में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता तथा अनुशासनहीन आचरण की श्रेणी में आता है।
10. श्री बालेन्द्र तिवारी के विरुद्ध पूर्व में आरोप–पत्र संख्या 1740/UPUMS/अधि0–07/ (2101–CD)P–1/2026–27 दिनांक 17.07.2026 निर्गत किया जा चुका है। निलम्बन के उपरान्त बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहने का तथ्य पूर्व में निर्गत आरोप–पत्र में सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त नवीन तथ्य के संबंध में पूर्व में निर्गत आरोप–पत्र के क्रम में पूरक आरोप–पत्र निर्गत किया जाना है, जिससे संबंधित कार्मिक को उक्त आरोप के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त हो सके।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	11. अतः श्री बालेन्द्र तिवारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त निलम्बन अवधि में बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के संबंध में तैयार पूरक आरोप–पत्र को मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **<u>प्रस्ताव</u>**: उपर्युक्त समस्त तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों एवं वैधानिक प्रावधानों के दृष्टिगत, मा0 कार्यपरिषद के समक्ष निम्नलिखित संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना हैः– (क) श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध की गई निलम्बन की कार्यवाही तथा कुलसचिव कार्यालय के पत्रांक 1739/UPUMS/Estt.–7/(2101)/2026–27 दिनांक 17.07.2026 द्वारा जारी निलम्बन आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना। (ख) निलम्बन अवधि में दिनांक 20.07.2026 से 26.07.2026 तक बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के संबंध में पूर्व में निर्गत आरोप–पत्र संख्या 1740/UPUMS/अधि0–07 /(2101–CD)P–1/2026–27 दिनांक 17.07.2026 के क्रम में तैयार पूरक आरोप–पत्र को अनुमोदित करते हुए श्री बालेन्द्र तिवारी को नियमानुसार प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना। **<u>अपेक्षित निर्णय</u>**: "मा0 कार्यपरिषद द्वारा श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध की गई निलम्बन की कार्यवाही एवं निलम्बन आदेश दिनांक 17.07.2026 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने तथा निलम्बन अवधि में बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के संबंध में तैयार पूरक आरोप–पत्र का अनुमोदन करते हुए उसे संबंधित कार्मिक को नियमानुसार निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।"
<u>कार्य परिषद का निर्णयः</u>– (1) श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 के विरुद्ध की गई निलम्बन की कार्यवाही से मा0 कार्य परिषद अवगत हुई तथा पत्रांक 1739/UPUMS/Estt.–7/(2101)/2026–27 दिनांक 17.07.2026 द्वारा जारी निलम्बन आदेश पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। (2) श्री बालेन्द्र तिवारी, लाइब्रेरियन ग्रेड–2 द्वारा निलम्बन अवधि में दिनांक 20.07.2026 से 26.07.2026 तक बिना पूर्व अनुमति/स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के संबंध में पूर्व में निर्गत आरोप–पत्र संख्या 1740/UPUMS/अधि0–07 /(2101–CD)P–1/2026–27 दिनांक 17.07.2026 के क्रम में तैयार किए गए पूरक आरोप–पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 17–10</u> **मा0 कार्य परिषद की सोलहवी बैठक में एजेण्डा बिंदु 16–17 के अन्तर्गत लिए गए श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरूद्ध संस्थित जाँच के क्रम में आरोप–पत्र के अनुमोदन के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के एजेण्डा बिंदु 16–17 के अन्तर्गत जाँच अधिकारी (डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग) द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट दिनांक 23 मार्च, 2026 को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अमान्य/शून्य घोषित करते हुए निरस्त किए जाने एवं प्रकरण में श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरूद्ध नए सिरे से जाँच संस्थित करने हेतु डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री संदीप कुमार दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	• उक्त अनुमोदन/निर्णय के अनुपालन में अपचारी कार्मिक श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत दिया जाने वाला आरोप–पत्र तैयार किया गया है, जिसे मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्तावः** श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें। आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किया जाना है।
कार्य परिषद का निर्णयः– श्री नरसिंह यादव, सहायक अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत उक्त प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 17–11 **मा0 कार्य परिषद की सोलहवी बैठक में एजेण्डा बिंदु 16–19 के अन्तर्गत सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, एस0टी0ओ0 (रेडियोलॉजी) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच के क्रम में आरोप पत्रों के अनुमोदन के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के एजेण्डा बिंदु 16–19 के अन्तर्गत प्रकरण में गठित 04 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच आख्या दिनांक 22.09.2025 के आधार पर मा0 कार्य परिषद सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत विभागीय जाँच संस्थित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। साथ ही प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु श्री के0बी0 अग्रवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को जाँच अधिकारी एवं श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। • उक्त अनुमोदन/निर्णय के अनुपालन में अपचारी कार्मिकों सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, एस0टी0ओ0 (रेडियोलॉजी) को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत दिया जाने वाला आरोप–पत्र तैयार किया गया है, जिसे मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्तावः–** सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, एस0टी0ओ0 (रेडियोलॉजी) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें। आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किया जाना है।
कार्य परिषद का निर्णयः– सुश्री अपराजिता तिवारी, टेक्नीशियन (रेडियोलॉजी) एवं श्री ओरी लाल, एस0टी0ओ0 (रेडियोलॉजी) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)	

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 17–12 **मा0 कार्य परिषद की सोलहवी बैठक में एजेण्डा बिंदु 16–23 के अन्तर्गत डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच के क्रम में आरोप पत्र के अनुमोदन के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के एजेण्डा बिंदु 16–23 के अन्तर्गत डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) के विरुद्ध की गई शिकायत की जाँच हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या के आधार पर इनके विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। साथ ही प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 दुर्गेश कुमार, प्रोफेसर, पीडियाट्रिक्स विभाग को जाँच अधिकारी एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार, सहा0 प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। • उक्त अनुमोदन/निर्णय के अनुपालन में अपचारी कार्मिक डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत दिया जाने वाला आरोप–पत्र तैयार किया गया है, जिसे मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्तावः–** डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें। आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किया जाना है।
कार्य परिषद का निर्णयः– **डॉ0 विवेक कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एफ0एस0जी0) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
एजेण्डा बिन्दु 17–13 **मा0 कार्य परिषद की सोलहवी बैठक में एजेण्डा बिंदु 16–24 के अन्तर्गत श्री कृष्ण पाल सिंह–अधिशासी अभियंता, श्री नरसिंह यादव–सहायक अभियंता (विद्युत) एवं श्री शोभित कुमार कनौजिया–कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच के क्रम में आरोप पत्रों के अनुमोदन के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के एजेण्डा बिंदु 16–24 के अन्तर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की विद्युत सेवाओं (एच०टी०/एल०टी० सबस्टेशन और 11 नग डी०जी० सेट्स) के हस्तांतरण की प्रक्रिया में हुए अत्यधिक विलम्ब, अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के मध्य समन्वय के अभाव और तथ्यों को छुपाने जैसे गंभीर प्रकरणों के दृष्टिगत प्रकरण में तथ्यों के परीक्षण के संबंध में गठित Fact Finding Committee की आख्या के क्रम में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता (विद्युत) एवं कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित किए जाने

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। साथ ही प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जाँच अधिकारी एवं श्री मिथलेश दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। • उक्त अनुमोदन/निर्णय के अनुपालन में अपचारी कार्मिकों श्री कृष्ण पाल सिंह–अधिशासी अभियंता, श्री नरसिंह यादव–सहायक अभियंता (विद्युत) एवं श्री शोभित कुमार कनौजिया–कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत दिया जाने वाला आरोप–पत्र तैयार किए गए हैं, जिसे मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **<u>प्रस्तावः–</u>** श्री कृष्ण पाल सिंह–अधिशासी अभियंता, श्री नरसिंह यादव–सहायक अभियंता (विद्युत) एवं श्री शोभित कुमार कनौजिया–कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें। आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किया जाना है।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> श्री कृष्ण पाल सिंह–अधिशासी अभियंता, श्री नरसिंह यादव–सहायक अभियंता (विद्युत) एवं श्री शोभित कुमार कनौजिया–कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 17–14</u> **मा0 कार्य परिषद की सोलहवी बैठक में एजेण्डा बिंदु 16–25 के अन्तर्गत डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच के क्रम में आरोप पत्रों के अनुमोदन के संबंध में।**	• अवगत कराना है कि कार्य परिषद की सोलहवीं बैठक दिनांक 30.06.2026 के एजेण्डा बिंदु 16–25 के अन्तर्गत डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) द्वारा चीफ वार्डन के दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता, निविदा प्रक्रिया में असहयोग तथा आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता करने के क्रम में इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में विभागीय जाँच हेतु डॉ0 रमाकांत यादव, प्रति–कुलपति को जाँच अधिकारी एवं श्री बीरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। • उक्त अनुमोदन/निर्णय के अनुपालन में अपचारी कार्मिकों डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत दिया जाने वाला आरोप–पत्र तैयार किए गए हैं, जिसे मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<table>
<tr>
<td></td>
<td>है।

<u>प्रस्तावः–</u> डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें। आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किया जाना है।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> डॉ० संदीप कुमार (प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन) एवं डॉ० वैभव कांति (प्रोफेसर, ऑब्स एण्ड गायनी) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत विभागीय जाँच हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 17–15</u>
मा0 कार्य परिषद की पंद्रहवी बैठक में एजेण्डा बिंदु 15–19 के अन्तर्गत श्री के0पी0 सिंह (अधिशासी अभियंता) एवं श्री सुनील कुमार (स्टोर कीपर) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के क्रम में आरोप–पत्र के अनुमोदन के संबंध में।</td>
<td>• अवगत कराना है कि कार्य परिषद की पंद्रहवीं बैठक दिनांक 25.04.2026 के एजेण्डा बिंदु 15–19 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के 850 KW रूफ टॉप सोलर प्लांट के रखरखाव हेतु निविदा प्रक्रिया में बरती गई घोर लापरवाही एवं उदासीनता के संबंध में श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग के विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण में जाँच हेतु डॉ0 सोमेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग को जाँच अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार पाल, प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था।
• उक्त अनुमोदन/निर्णय के अनुपालन में अपचारी कार्मिक श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत दिया जाने वाला आरोप–पत्र तैयार किया गया है, जिसे मा० कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>प्रस्तावः</u> श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें। आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किया जाना है।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> श्री के0पी0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अभियंत्रण विभाग एवं श्री सुनील कुमार, स्टोर कीपर, सामग्री प्रबंधन विभाग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु तैयार किए गए आरोप–पत्र पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आरोप–पत्र कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान</td>
</tr>
</table>

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हस्ताक्षर से जारी किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 17–16

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई द्वारा विज्ञापन संख्या– 37/UPUMS/ Paramedical/ Pharmacy/2024-25 दिनांक 20.06. 2024 के माध्यम से पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फार्मेसी संकाय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा डिमॉन्स्ट्रेटर/रेजीडेंट के विभिन्न पदों पर नियुक्त संकाय सदस्यों की परिवीक्षा अवधि के संबंध में

- विज्ञापन संख्या–37/UPUMS/Paramedical/Pharmacy/2024-25 दिनांक 20-06-2024 के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फार्मेसी संकाय में विभिन्न पदों पर चयनित कुल 13 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया।
- उक्त विज्ञापन के अंतर्गत पैरामेडिकल विज्ञान संकाय में विभागवार विज्ञापित पदों तथा वर्तमान में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है-

S. No.	Ehrms ID	Name	Post	Date of Joining	Date of Probation Clearance	Matrix Level
1	3012425	Dr. Jitendra Prasad Mathuria	Professor	12-03-2025	11-03-2026	13A
2	3012516	Dr. Kamal Pant	Professor	12-03-2025 **(On Deputaion Relieved from 23.09.2025)**	11-03-2026	13A
3	3012415	Dr. Gowri Shankar Potturi	Asso. Professor	17-03-2025	16-03-2026	12
4	3012430	Dr. Nishee Mishra	Assistant Professor	08-04-2025	07-04-2026	11
5	3012420	Dr. Neha Dubey	Assistant Professor	08-04-2025	07-04-2026	11
6	3058362	Mr. Narendra Pratap Singh	Assistant Professor	21-04-2025	20-04-2026	11
7	3058361	Mr. Jagdish Singh	Assistant Professor	17-04-2025	16-04-2026	11
8	3058842	Dr. Ragni Kumari	Assistant Professor	31-05-2025	30-05-2026	11
9	3058359	Mr. Mayank Kumar	Assistant Professor	08-04-2025	07-04-2026	11
10	3058236	Ms. Mamta Verma	Assistant Professor	11-04-2025	10-04-2026	11
11	3058231	Mr. Mayank Pal Singh	Assistant Professor	17-04-2025	16-04-2026	11
12	3058794	Mr. Gunjan Kumar	Demonstrator	29-10-2025	28-10-2026	10
13	3062203	Ms. Anuradha Gautam	Demonstrator	06-11-2025	05-11-2026	10

कृत कार्यवाही: चयन प्रक्रिया से संबंधित कुछ गंभीर एवं नीतिगत बिन्दुओं पर जाँच/परीक्षण प्रचलित है। प्रकरण को कार्य परिषद् की 16वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 16–22 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें विस्तृत जाँच संस्थित करने तथा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित करने हेतु मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव: उक्त प्रकरण के क्रम में, भारत सरकार के Office Memorandum No- 28020/3/2018-Estt-(C) dated 11.03.2019 के बिन्दु 16 के प्रावधानों के अनुसार, कुल 13 चयनित संकाय सदस्यों की परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष या जाँच पूर्ण होने तक विस्तारित की गई है। उक्त पर कार्योत्तर अनुमोदन मा० कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

कार्य परिषद का निर्णय:– विश्वविद्यालय, सैफई द्वारा विज्ञापन संख्या– 37/UPUMS/ Paramedical/ Pharmacy/2024-25 दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं फार्मेसी संकाय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा डिमॉन्स्ट्रेटर/रेजीडेंट के विभिन्न पदों पर चयनित/नियुक्त संकाय सदस्यों को भारत सरकार के Office Memorandum No- 28020/3/2018-Estt-(C) dated 11.03.2019 के बिन्दु 16 के प्रावधानों के अनुसार, विस्तारित की गई परिवीक्षा अवधि (01 वर्ष या जाँच पूर्ण होने तक) के संबंध में कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

किया गया।	

एजेण्डा बिन्दु 17–17
विश्वविद्यालय के समस्त चिकित्सालय भवनों, विभागों, छात्रावासों, आवासीय परिसरों एवं अन्य भवनों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तैयार किये गये एकीकृत फायर एंड लाइफ सेफ्टी एक्शन प्लान (Fire and Life Safety Action Plan) को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में।
	प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमिः– उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में चिकित्सालय परिसर 24 घंटे क्रियाशील रहते हैं और विभिन्न वार्डों व आईसीयू में अत्यंत गंभीर मरीज भर्ती रहते हैं, जो आपातकालीन स्थिति में स्वयं सुरक्षित बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं। चिकित्सालय में ऑक्सीजन–समृद्ध वातावरण, विद्युत प्रणालियॉ, प्रयोगशालाओं में ज्वलनशील रसायन और गैस सिलेंडर आदि के कारण अग्नि दुर्घटनाओं का जोखिम सदैव बना रहता है। विश्वविद्यालय में मरीजों, कर्मचारियों, छात्र/छात्राओं, आगंतुकों के जीवन विजिकी सुरक्षा एवं अनिवार्य चिकित्सा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक एकीकृत, व्यवस्थित और व्यावहारिक, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा कार्य योजना की अत्यंत आवश्यकता के दृष्टिगत एकीकृत फायर एंड लाइफ सेफ्टी एक्शन प्लान (Fire and Life Safety Action Plan) तैयार किया गया है।
	
	नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्षः– विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक अध्ययन और जोखिम मूल्यांकन (Fire Risk Assessment) करने के उपरांत एक विस्तृत कार्य योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं–
	• अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर निगरानी के लिए एक फायर सेफ्टी कमेटी और फायर सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन।
	• अस्पताल के विभिन्न हिस्सों को उच्च–जोखिम (ICU, OT, लेबर रूम, गैस मैनिफोल्ड), मध्यम–जोखिम (जनरल वार्ड, ओपीडी) और निम्न–जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
	• आपातकाल में क्षैतिज (Horizontal) और लंबवत (Vertical) निकासी की प्राथमिकताओं का निर्धारण, जिसमें RACE (Rescue, Alarm, Confine, Extinguish/Evacuate) प्रोटोकॉल तथा PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep) तकनीक को शामिल किया गया है।
	• कर्मचारियों के लिए मासिक, त्रैमासिक व अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल (Mock Drills) और प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किए गए हैं।
	• चिकित्सालय परिसर, चिकित्सालय भवनों, आवासीय भवनों, छात्रावासों, पार्किंग व अन्य भवनों में अग्निशमन उपकरणों की फ्लोर–वाइज उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।
	• अस्पताल प्रशासन और तकनीकी टीम द्वारा तैयार किया गया यह प्रारूप संस्थान में शून्य–दुर्घटना (Zero-incident) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः व्यावहारिक और वैधानिक रूप से उपयुक्त है।
	• शासनादेश संख्या 139/71–1–2026 दिनांक 25.06.2026 में अंकित निर्देशों के क्रम में शून्य–दुर्घटना (Zero-incident) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अबतक निम्नलिखित कार्य किये गये हैं–
	  ○ फायर सेफ्टी कमेटी गठित की गयी है।
	  ○ नोडल अधिकारी फायर सेफ्टी नामित किये गये हैं।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो० (डॉ०) अजय सिंह
कुलपति

	○ सुपरवाईजिंग आफीसर फायर सेफ्टी नामित किये गये हैं। ○ फायर सेफ्टी आफीसर की नियुक्ति की गयी है। ○ कुल 1263 फायर extinguisher लगाये गये हैं। ○ कुल 04 स्मोक extractor क्रय किये गये हैं। ○ Fire suppressant की निविदा की जा चुकी है। ○ कुल 50 फायर एलार्म (पोर्टेबल) इन्स्टाल हो गये हैं। ○ कुल 06 Fire escape ladder क्रय किये गये हैं। ○ फायर एलार्म (अपग्रेडेशन बाई–बैक के आधार पर) की निविदा की जा चुकी है। ○ 1242 फायर extinguisher की निविदा प्रक्रिया जारी है। ○ फायर मेन्टीनेन्स की निविदा प्रक्रिया जारी है। **प्रस्तावः**– विश्वविद्यालय के समस्त चिकित्सालय भवनों, विभागों, छात्रावासों, आवासीय परिसरों एवं अन्य भवनों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तैयार किये गये एकीकृत फायर एंड लाइफ सेफ्टी एक्शन प्लान (Fire and Life Safety Action Plan) को अवलोकित करते हुए मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय के समस्त चिकित्सालय भवनों, विभागों, छात्रावासों, आवासीय परिसरों एवं अन्य भवनों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तैयार किये गये एकीकृत फायर एंड लाइफ सेफ्टी एक्शन प्लान (Fire and Life Safety Action Plan) को अवलोकित करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 17–18 **श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश (EL) को चिकित्सीय अवकाश (ML) में परिवर्तित करने हेतु Central Civil Services Leave Rules 1972 के नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**	**पृष्ठभूमि एवं विवरण–** श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI लखनऊ में किडनी प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) एवं तदुपरान्त चिकित्सा परामर्श हेतु निम्नलिखित अवधियों में अवकाश लिया गया था:– 1. दिनांक 28.10.2025 से 15.11.2025 तक कुल 19 दिन स्वीकृत अर्जित अवकाश। 2. दिनांक 16.11.2025 से 13.12.2025 तक कुल 28 दिन अर्जित अवकाश का विस्तार। 3. दिनाकं 14.12.2025 से 20.01.2026 तक कुल 38 दिन अर्जित अवकाश का विस्तार। 4. दिनांक 21.01.2026 से 12.02.2026 तक कुल 23 दिन अर्जित अवकाश का विस्तार 5. 13.02.2026 से 20.02.2026 तक कुल 08 दिन अर्जित अवकाश का विस्तार। • SGPGI Lucknow में निरंतर चिकित्सीय परामर्श एवं अनुवर्ती देखरेख Follow-up हेतु दिनांक 16.11.2025 से 20.02.2026 तक कुल 97 दिन अर्जित अवकाश का विस्तार। श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) के पक्ष में दिनांक 28.10.2025 से 20.02.2026 तक कुल 116 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। • अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरांत कार्मिक द्वारा दिनांक 21.02.2026 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। आवेदन

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

प्रस्तुत करने की निर्धारित 30 दिवसीय अंतिम तिथि जो कि दिनांक 23.03.2026 थी। श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 28.03. 2026 थी।

- श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा अर्जित अवकाश को चिकित्सीय अवकाश में परिवर्तित किए जाने हेतु आवेदन 28.03.2026 को प्रस्तुत किया गया, जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के पश्चात (अर्थात 35वें दिन) प्राप्त हुआ। इस तकनीकी विलंब के कारण प्रशासनिक स्तर पर CCS Leave Rules, 1972 के नियम 10 के प्रावधानों के तहत उक्त परिवर्तन किया जाना संभव नहीं हो पाया।

नियम– Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 का नियम 10 तथा DoPT के दिनांक 31.12.1997 के कार्यालय ज्ञापनः

Central Civil Services Leave Rules, 1972 के नियम 10 के अनुसारः–

(1) At the request of a Government servant, the authority which granted him leave may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted, but the Government servant cannot claim such commutation as a matter of right.

Provided that no such request shall be considered unless received by such authority, or any other authority designated in this behalf, within a period of 30 days of the concerned Government servant joining his duty on the expiry of the relevant spell of leave availed of by him.

(2) The commutation of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted to the Government servant, that is to say, any amount paid to him in excess shall be recovered or any arrears due to him shall be paid.

DoPT OM dated 31.12.1997 के पैरा संख्या–3 के अनुसारः–

"The said recommendation of the Fifty Pay Commission has been accepted by the Government and the President is pleased to decide that the application of a Government servant for commutation of on ekind of leave into another may be considered as per the provisions of Rule 10 of CCS (Leave) Rules, 1972, and any other Rule as applicable, only if the same has been received by the leave sanctioning authority, or any other authority designated in this behalf, within a period of 30 dauys of the concerned Government servant joining his duties on the expiry of the relevant spell of leave availed of by his / her."

विचारणीय बिंदु–

- श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) की किडनी प्रत्यारोपण SGPGI Lucknow में हुई है, जिसके उपरांत इलाज कर रहे चिकित्सक द्वारा उन्हें लगातार चिकित्सीय परामर्श/विश्राम की अनिवार्यता थी। इस संदर्भ में श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	• गंभीर चिकित्सीय स्थिति और उसके उपरांत की शारीरिक कमजोरी के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में 5 दिन का अल्प विलंब हुआ, जिसे विशेष परिस्थिति मानते हुए One time exception के रूप में शिथिलता प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है। **अवशेष अवकाश का ब्यौरा–** दिनांक 18.08.2026 तक श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) के अवकाश खाते में 75 दिन अर्जित अवकाश (Earned Leave) एवं 58 दिन चिकित्सा अवकाश Medical Leave शेष है। **प्रस्ताव–** 1. श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) की गंभीर चिकित्सीय स्थिति (किडनी ट्रांसप्लांट) तथा प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, Central Civil Services Leave Rules, 1972 के नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित 30 दिन की समय–सीमा के संदर्भ में एक बार के विशेष मामले (One time exception) के रूप में शिथिलता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। 2. तद्नुसार, श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत कुल 116 दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 28.10.2025 से 20.02.2026) को रद्द करते हुए, दिनांक 28.10.2025 से 15.11.2025 तक कुल 19 दिन अर्जित अवकाश, दिनांक 16.11.2025 से 12.01.2026 तक कुल 58 दिन को चिकित्सा अवकाश Medical Leave एवं दिनांक 13.01.2026 से 20.02.2026 तक कुल 39 दिन को अर्जित अवकाश में संशोधित/नियमित किये जाने का प्रस्ताव है।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> **(1) श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) की गंभीर चिकित्सीय स्थिति (किडनी ट्रांसप्लांट) तथा प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, Central Civil Services Leave Rules, 1972 के नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित 30 दिन की समय–सीमा के संदर्भ में एक बार के विशेष मामले (One time exception) के रूप में शिथिलता प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।** **(2) श्री अताउर्रहमान खॉ, सहायक अभियंता (सिविल) के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत कुल 116 दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 28.10.2025 से 20.02.2026) को रद्द करते हुए, दिनांक 28.10.2025 से 15.11.2025 तक कुल 19 दिन अर्जित अवकाश, दिनांक 16.11.2025 से 12.01.2026 तक कुल 58 दिन को चिकित्सा अवकाश Medical Leave एवं दिनांक 13.01.2026 से 20.02.2026 तक कुल 39 दिन को अर्जित अवकाश में संशोधित/नियमित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
<u>एजेण्डा बिन्दु 17–19</u> मानकीकरण के उपरांत छूटे हुए गैर–शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों के हितलाभ एवं कैडर निर्धारण/संविलन के संबंध में।	• चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, के पत्र संख्या 110/2022/96/71–2099/753/2021 दिनांक 05.09.2022 प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन राजकीय मेडिकल कालेजों/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में परास्नातक तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों व सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों में स्नातक, परास्नातक तथा सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के दृष्टिगत एम०सी०आई०/एन०एम०सी० मानकों की पूर्ति एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के सुगम संचालन के लिये न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के पदों के सृजन हेतु मानदण्डों के निर्धारण के

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किया गया थे। • तदक्रम में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 71–4099/1051/2022–4– दिनांक 24.02.2023 के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों/मेडिकल कॉलेजों में एम०सी०आई०/एन०एम०सी० मानकों की पूर्ति एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के सुगम संचालन के लिये न्यूनतम आवश्यक मानव संसाधन के पदों के सृजन हेतु शासनादेश दिनांक 05.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के विभिन्न विभागों हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक संवर्ग के पदों का सृजन किया गया था। • चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के क्रियान्वयन के संबंध में गैर–शैक्षणिक कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन हेतु दिनांक 13.04.2023, दिनांक 15.04.2023 एवं दिनांक 29.05.2023 को सम्पन्न बैठकों में की गई संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद के समक्ष ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 (एजेण्डा बिंदु 11–21) प्रस्तुत किया गया उक्त प्रस्तावित 08 बिंदुओं पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। • कार्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निवारण के दृष्टिगत मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में गैर शैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नति किये जाने से पूर्व लेन्थ ऑफ सर्विस की गणना किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश सं0 4999/यूपीयूएमएस/अधि0–07(1976–सी0डी0)/2023–24 दिनांक 05.02.2024 व संशोधित कार्यालय आदेश सं0 5011/यूपीयूएमएस/ अधि0–07(1976– सी0डी0)/2023–24 दिनांक 06.02.2024 द्वारा लिए निर्णयों को मा0 कार्य परिषद के समक्ष बारहवीं बैठक दिनांक 26.11.2024 (एजेण्डा बिंदु 12–9) में प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। • शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के क्रम में गैर–शैक्षणिक कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन हेतु दिनांक 13.04.2023, दिनांक 15.04.2023 एवं दिनांक 29.05.2023 को सम्पन्न बैठकों में की गई संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में मा0 कार्य परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 12.09.2023 (एजेण्डा बिंदु 11–21) के अन्तर्गत प्रस्तावित 08 बिंदुओं पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के बिंदु–5 में उल्लेख है कि:– **"जिन पदों का उल्लेख नवीन कैडर पुनर्गठन शासनादेश में नहीं है उनके फिटमेंट एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में (Not Exist Fitment Promotion):–** विश्वविद्यालय में पूर्व से ऐसे सृजित पद जिनका उल्लेख नवीन कैडर पुनर्गठन शासनादेश में नहीं है, उक्त पदों हेतु शासनादेश के प्रस्तर–2 के बिन्दु सं0 02 मे यह व्यवस्था है कि "यदि कोई ऐसा पद पूर्व में सृजित है जो उक्त मानक में नहीं है तो शासनादेश दिनांक 05.09.2022 के प्रस्तर 2(12) के अनुसार ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के साथ शून्य समर्पित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी"।

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

विश्वविद्यालय में कतिपय ऐसे पद हैं जो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम एवं चिकित्सालय के सुचारू संचालन हेतु एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार पूर्व मे सृजित किए गए थे तथा उनकी वर्तमान में आवश्यकता भी है और उनकी Length of Service भी अधिक है ऐसे कार्मिकों की सेवाओं को बनाए रखने हेतु उनकी पदनाम, वेतनमान, योग्यता, अनुभव, कार्य की प्रकृति आदि की दृष्टि से उनसे सम्बन्धित संवर्ग के equivalent पदों पर उनका संविलन (merger) करने पर विचार किया जायेगा।

शासनादेश की उक्त व्यवस्था के अनुसार ऐसे कार्मिक जिनका पद Dying Cadre की श्रेणी में है, उन कार्मिकों हेतु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ की पूर्व की व्यवस्था के अनुसार कैडर लागू रहेगा तथा तद्नुसार उन्हें पदोन्नति एवं अन्य हितलाभ अनुमन्य रहेंगे।''

वर्तमान स्थिति:

विश्वविद्यालय में कतिपय ऐसे पद पूर्व से सृजित हैं, जिनकी वर्तमान में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम एवं चिकित्सालय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकता है। इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि (Length of Service) भी अधिक है। वर्तमान में निम्नानुसार पद ऐसे हैं जिनका उल्लेख नवीन कैडर पुनर्गठन शासनादेश में नहीं है:–

UNIVERSITY			
S. No.	**Name of Post**	**Pay Matrix & Level**	**Filled posts**
1	Addl. Statistics Officer	44900-142400 Level-7	1
2	Artist Grade-1	35400-112400 Level-6	2
3	Audio Visual Technician	29200-92300 Level-5	3
4	Junior Photographer	29200-92300 Level-5	1
5	Dark Room Assistant	21700-69100 Level-3	4
6	Documentalist	21700-69100 Level-3	1
7	Librarian Clerk	21700-69100 Level-3	1
8	Library Assistant	19900-63200 Level-2	3
9	Lab Assistant	25500-81100 Level-4	1
10	Lab Attendant	21700-69100 Level-3	7
11	Computer Operator	29200-92300 Level-5	4
12	Record Clerk	19900-63200 Level-2	13
13	Office Assistant	19900-63200 Level-2	1
14	Clerk Cum Typist	19900-63200 Level-2	5
15	Coding Clerk	19900-63200 Level-2	1
16	Driver	19900-63200 Level-2	16
17	Attendant Cum Daftari	18000-56900 Level-1	5
18	Daftari Cum Attendant	18000-56900 Level-1	4
19	Cook Cum Attendant	18000-56900 Level-1	5
20	Cook cum Helper Cum Peon	18000-56900 Level-1	1
21	Helper Cum Peon	18000-56900 Level-1	14
22	Junior Technician (Blacksmith)	18000-56900 Level-1	1.
23	Junior Technician (Carpenter)	18000-56900 Level-1	1
24	Peon Cum Helper	18000-56900 Level-1	14
25	Peon Cum Packer	18000-56900 Level-1	4
26	Plumber	18000-56900 Level-1	1
27	Washer man	18000-56900 Level-1	5
28	Stretcher Bearer	18000-56900 Level-1	1
29	Lift Operator	18000-56900 Level-1	10
30	Tailor	18000-56900 Level-1	3
31	Dissection Hall Attendant	18000-56900 Level-1	6
PARA MEDICAL COLLEGE			
1	Jr. Clerk	21700-69100 Level-3	3

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

प्रस्तावित कार्यवाही:

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 05.09. 2022 द्वारा निर्धारित मानकों एवं शासनादेश दिनांक 24.02.2023 द्वारा सृजित गैर–शैक्षणिक पदों/कैडर के क्रम में ऐसे कार्मिक जिनके पदों को मानकीकरण के आधार पर कैडर का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, के सबंध में एक Fact Finding Committee का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त Fact Finding Committee यह परीक्षण करेगी कि किस कारण और किन परिस्थितियों में मानकीकरण के उपरांत कैडर का लाभ उक्त पदों पर कार्यरत कार्मिकों को प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही Fact Finding Committee द्वारा यह भी परीक्षण किया जाएगा कि मानकीकरण के उपरांत छूटे हुए गैर–शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों के हितलाभ एवं कैडर निर्धारण/संविलन किस प्रकार किया जा सकता है।
3. उक्त के साथ ही उपरोक्त 32 पदनाम के अलावा यदि कोई पद छूट रहे हों उनका परीक्षण भी Fact Finding Committee द्वारा किया जाएगा।

प्रस्ताव: शासनादेश दिनांक 05.09.2022 एवं शासनादेश दिनांक 24.02. 2023 के द्वारा मानकीकरण उपरांत ऐसे कार्मिक जिनके पदों को मानकीकरण के आधार पर कैडर का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, के सबंध में कारणों और परिस्थितियों के परीक्षण तथा छूटे हुए गैर–शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों के हितलाभ एवं कैडर निर्धारण/संविलन किस प्रकार किया जा सकता है, के परीक्षण के संबंध में Fact Finding Committee के गठन हेतु मा0 कार्य परिषद कुलपति महोदय को अधिकृत करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णय:– शासनादेश दिनांक 05.09.2022 एवं शासनादेश दिनांक 24.02.2023 के द्वारा मानकीकरण उपरांत ऐसे कार्मिक जिनके पदों को मानकीकरण के आधार पर कैडर का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, के सबंध में कारणों और परिस्थितियों के परीक्षण तथा छूटे हुए गैर–शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों के हितलाभ एवं कैडर निर्धारण/संविलन किस प्रकार किया जा सकता है, के परीक्षण के संबंध में Fact Finding Committee के गठन संबंधी कार्यवाही हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 17–20

Transfer and Absorption of Dr. Himanshu Prince Yadav, Associate Professor - Department of Anesthesiology, into the Department of Emergency Medicine.

This is to inform that during the 11th meeting of the Academic Council he on 21.08.2026, the following agenda was presented under Agenda Item 1 regarding the transfer and absorption of Dr. Himanshu Prince Yadav, Associa Professor (Department of Anaesthesiology) to the Department of Emergen Medicine:

1. PREFACE	In accordance with the National Medical Commission (NMC) requirements, Emergency Medicine is an essential clinical specialty and a dedicated Department of Emergency Medicine is required in medical colleges for structured emergency care, teaching and training. In view of the NMC mandate and the need to strengthen the Department of Emergency Medicine at UPUMS, Saifai, Dr. Himanshu Prince Yadav, Associate Professor, Department of Anesthesiology, has expressed his willingness to contribute his clinical, teaching and academic experience to the Department of Emergency Medicine, subject to the applicable NMC norms and approval of the competent authority.
2. BACKGROUND & NMC REGULATORY ALIGNMENT	**Sanctioned Position:** • One post each of Professor and Associate Professor is sanctioned in the Department of Emergency Medicine at UPUMS, as per *Manakikaran/Sanctioned Faculty Position Vide Letter*, - File No. 71-4099/1051/2022-I/280291/2023, Dated:24.02.2023 Page 3, Serial No. 8

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	NMC Provision: • As per the *NMC Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025*, notified vide Gazette Notification No. CG-DL-E-05072025-264399 dated 30.06.2025, teaching experience in the broad specialty of Anaesthesiology is countable for faculty appointment in Emergency Medicine as prescribed under the Regulations. Dr. Himanshu Prince possesses the prescribed qualifications as MD Anaesthesiology (K.G.M.U., Lucknow), PDCC - Onco-Anaesthesiology (AIIMS Rishikesh).
3. MECHANISM	**Primary Action:** • The Associate Professor post in Anaesthesiology against which Dr. Himanshu Prince was appointed shall be transferred to the Department of Emergency Medicine along with Dr. Himanshu Prince, who shall be permanently transferred and absorbed in the Department of Emergency Medicine, with continuity of service, seniority and admissible service benefits as per rules. **Corresponding Action:** • One vacant sanctioned Associate Professor post of Emergency Medicine shall simultaneously be transferred to the Department of Anaesthesiology and filled through the prescribed due process. The existing/vacant position may be verified from the sanctioned faculty position statement (File No. 71-4099/1051/2022-I/280291/2023, Dated:24.02.2023 Page 3, Serial No. 8
4. RATIONALE	The proposed transfer will utilise the existing faculty strength of the University and strengthen emergency care, clinical services, teaching and academic activities in the Department of Emergency Medicine, without demanding sanction of any new faculty post and overall sanctioned faculty posts will remain same.
5. EXPECTED APPROVAL	Approval required from the Academic Council for permanent transfer and absorption of Dr. Himanshu Prince as Associate Professor, in Department of Emergency Medicine from Department of Anesthesiology with continuity of service, seniority and admissible service benefits as per rules, along with the corresponding transfer of one vacant sanctioned Associate Professor post from Department of Emergency Medicine to Department of Anaesthesiology for filling through due process.

विद्या परिषद का निर्णयः विद्या परिषद द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करते हुए ई0सी0 में रखकर अनुमोदन प्राप्त करने तथा उसके उपरान्त शासन को Exchange के विषय में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा यदि कोई अन्य संकाय सदस्य इमरजेन्सी मेडिसिन में योगदान/स्थानान्तरण चाहता है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है साथ ही Dr. Himanshu Prince Yadav, Associate Professor को Emergency Medicine के सुचारू रूप से संचालन हेतु Emergency Medicine का Officiating Incharge बनाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तावः विद्या परिषद के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही हेतु मा0 कार्य परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः— मा0 कार्य परिषद द्वारा Emergency Medicine के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्या परिषद के निर्णय/सैद्धान्ति अनुमोदन के क्रम में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 17–21 विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार को 'विजिलेंस क्लीयरेंस अधिकारी' नामित किए जाने के संबंध में कृत	• उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में दैनिक प्रशासनिक कार्यों की सुगमता, कर्मचारियों/शिक्षकों के विजिलेंस क्लीयरेंस प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण तथा सतर्कता संबंधी निम्नलिखित मामलों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु 'विजिलेंस

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन हेतु।	क्लीयरेंस अधिकारी नामित होना आवश्यक है:– ▪ विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, चिकित्सकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति/एम0ए0सी0पी0, वित्तीय लाभों, विदेश यात्रा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS), अदेयता प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले देयकों के भुगतान हेतु सतर्कता दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना। ▪ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के आचरण की निगरानी करना। साथ ही, समय–समय पर चल–अचल संपत्ति के विवरण (Property Returns) की समीक्षा। ▪ शासकीय एवं सतर्कता निकायों से प्राप्त पत्रों/निर्देशों के क्रम में वांछित सूचनाओं व आख्याओं का प्रेषण। • उक्त महत्वपूर्ण कार्यों हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व में विजिलेंस क्लीयरेंस अधिकारी का नामांकन पृथक रूप से उपलब्ध नहीं था। • उक्त कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश सं0 2472/यूपीयूएसएस/सा0प्रशा0 (3722–सीडी)/2026–27 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा डॉ0 विक्रम सिंह राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग/डिप्टी रजिस्ट्रार को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से विजिलेंस क्लीयरेंस अधिकारी नामित किया गया है। **<u>प्रस्ताव:</u>** विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों की सुगमता, कर्मचारियों/शिक्षकों के विजिलेंस क्लीयरेंस प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण तथा सतर्कता संबंधी मामलों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु डॉ0 विक्रम सिंह राठौर, डिप्टी रजिस्ट्रार को विजिलेंस क्लीयरेंस अधिकारी नामित करने के संबंध में कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
<u>कार्य परिषद का निर्णय:–</u> विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासनिक कार्यों की सुगमता, कर्मचारियों/शिक्षकों के विजिलेंस क्लीयरेंस प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण तथा सतर्कता संबंधी मामलों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु डॉ0 विक्रम सिंह राठौर, डिप्टी रजिस्ट्रार को विजिलेंस क्लीयरेंस अधिकारी नामित करने के संबंध में कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 17–22</u> **विश्वविद्यालय में उपकरणों के क्रय हेतु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/MM/HLPC/2019-20/0274 दिनांक 20.06.2019 की व्यवस्था को सैद्धान्तिक रूप से अंगीकृत करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करने के संबंध में।**	<u>विवरण:</u> • अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय (तत्समय संस्थान) हेतु शासनादेश संख्या 3686/71–3–07–S–27/2007 दिनांक 24.09.2007 के अन्तर्गत रू0 100.00 लाख (रू0 1.00 करोड़) से अधिक के उपकरणों के क्रय हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी समिति (HLTC) गठित थी, जिसमें SGPGI लखनऊ के निदेशक (सह–अध्यक्ष) एवं संबंधित विभागाध्यक्ष (सदस्य) सम्मिलित थे। • वर्तमान में विश्वविद्यालय में कई स्पेशलिस्ट व सुपर–स्पेशलिस्ट विभाग पूर्ण रूप से कार्यरत हैं तथा SGPGI के समतुल्य अनुभवी एवं योग्य प्रोफेसर व फैकल्टी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। SGPGI लखनऊ के विशेषज्ञों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण समेकित बैठकें समय से नहीं हो पाती थीं, जिससे क्रय प्रक्रिया

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	में अत्यधिक विलंब होता था। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य प्रमुख संस्थानों (SGPGI, KGMU, RMLIMS) में क्रय हेतु अपने संस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य वाह्य संस्थान के विभागाध्यक्ष को समिति में अनिवार्य रूप से रखने की व्यवस्था लागू नहीं है। • उपरोक्त कठिनाइयों के निस्तारण एवं क्रय प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शासन को पत्र संख्या 645 / E / यूपीयूएमएस / एमएम / 2026–27 दिनांक 15 मई, 2026 प्रेषित कर पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 24.09.2007 को अवक्रमित करते हुए SGPGI की भांति नई तकनीकी मूल्यांकन समिति गठित करने हेतु मार्गदर्शन मांगा गया था। • उत्तर प्रदेश शासन (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4) के पत्र संख्या 1 / 1399407 / 2026 / 71– 3099 / 11 / 2026 दिनांक 17.07. 2026 के माध्यम से इस संबंध में ''विश्वविद्यालय में लागू परिनियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में कार्य परिषद के अनुमोदन से नियमानुसार निर्णय लेकर निस्तारित करने'' के निर्देश प्राप्त हुए हैं। • एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/MM/HLPC/2019-20/0274 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से गठित Technical Evaluation Committee की व्यवस्था को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में सैद्धान्तिक रूप से अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है। <u>प्रस्ताव</u>: एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/MM/HLPC/ 2019-20/0274 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से गठित Technical Evaluation Committee की व्यवस्था को उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में सैद्धान्तिक रूप से अंगीकृत करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 कार्य परिषद कुलपति महोदय को अधिकृत करना चाहें।
<u>कार्य परिषद का निर्णय</u>:– विश्वविद्यालय में उपकरणों के क्रय हेतु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 PGI/MM/HLPC/2019-20/0274 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से गठित Technical Evaluation Committee की व्यवस्था को सैद्धान्तिक रूप से अंगीकृत करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।	
<u>एजेण्डा बिन्दु 17–23</u> **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु अनुमोदित उपकरणों की सूची मा0 कार्य परिषद के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।**	<u>विवरण</u>: • अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र सं0 34 / 2026 / I / 1441665 / / 2026 / 001–71–4099–36–2021 दिनांक 21.08.2026 के द्वारा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज एवं पैरामेडिकल इंस्टिट्यूट हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में क्रय किए जाने वाले उपकरणों की सूची अनुमोदित की गई है। • उक्त के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज हेतु रू0 15000.00 लाख एवं पैरामेडिकल हेतु रू0 200.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। • शासन का पत्र दिनांक 21.08.2026 (मय उपकरणों की सूची) मा0 कार्य परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्ताव**: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	2026–27 हेतु अनुमोदित उपकरणों की सूची को मा0 कार्य परिषद अवलोकित करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु अनुमोदित उपकरणों की सूची को मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकित किया गया।**

एजेण्डा बिन्दु 17–24 **विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रशासनिक पदों हेतु निश्चित पदावधि/कार्यकाल निर्धारित करने के संबंध में।**	विवरणः– • अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं के सुचारू, पारदर्शी एवं कुशल संचालन हेतु विभिन्न प्रशासनिक पदों का दायित्व संकाय सदस्यों/ अधिकारियों को प्रदान किया गया है। • विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों हेतु एक निश्चित पदावधि/कार्यकाल निर्धारित किया जाए। • अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा 25(4) के अंतर्गत संकायाध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष हेतु निर्धारित है। • यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी के पद पर तैनाती उ0प्र0 शासन द्वारा की जाती है। • विश्वविद्यालय के अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्थाओं के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य करने की अधिकतम समय–सीमा 3 वर्ष या सक्षम प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। विचारणीय बिंदुः– विश्वविद्यालय में स्वस्थ अकादमिक वातावरण, पारदर्शिता तथा अन्य वरिष्ठ आचार्यों/शिक्षकों को प्रशासनिक दायित्वों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह समीचीन होगा कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 में संकायाध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु निहित व्यवस्था की भांति विभिन्न प्रशासनिक पदों हेतु भी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि/सक्षम प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त कार्यकाल निर्धारित किया जाए, जिसमें प्रतिबंध होगा कि उक्त पदों पर किसी संकाय सदस्य/अधिकारी को अधिकतम 02 बार अवसर दिया जा सकता है किन्तु 02 अवसर लगातार नहीं होंगे। **प्रस्तावः** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 में संकायाध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु निहित व्यवस्था के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक पदों (कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को छोड़कर) हेतु भी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि/सक्षम प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त कार्यकाल मा0 कार्य परिषद निर्धारित करना चाहें।

कार्य परिषद का निर्णयः– **उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 में संकायाध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु निहित व्यवस्था के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक पदों (कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी को छोड़कर) हेतु भी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि/सक्षम प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त कार्यकाल निर्धारित करने के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

<u>एजेण्डा बिन्दु 17–25</u> **विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग हेतु प्रचलित Standard Operating Procedure (SOP) में संशोधन तथा परीक्षा कार्यों में कक्ष निरीक्षक (Invigilator/Flying Squad) एवं अन्य परीक्षा संबंधी दायित्वों के निर्धारण के संबंध में।**	**<u>प्रस्तावनाः</u>** अवगत कराना है कि परीक्षा विभाग में समस्त संकायों की परीक्षा के कार्यों के लिये पूर्व में एस०ओ०पी० बनायी गयी है। उक्त एस०ओ०पी० परीक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण गोपनीय विभाग की आवश्यक्तानुसार संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। **<u>प्रस्तावः</u>** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न संकायों/पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के सुचारु, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गोपनीय संचालन हेतु परीक्षा विभाग द्वारा पूर्व में Standard Operating Procedure (SOP) निर्धारित की गई है। प्रचलित SOP की समीक्षा में कतिपय प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं, जिनका परीक्षा की निष्पक्षता एवं गोपनीयता के दृष्टिगत निराकरण आवश्यक है। विशेष रूप से, संबंधित विषय/विभाग से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अधिकारियों/कार्मिकों की कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी न लगाई जाए, जिससे संभावित हित–संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही, उड़नदस्ता की ड्यूटी सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही लगाई जाए। साथ ही परीक्षा सम्बन्धित सभी कार्य परीक्षा विभाग के द्वारा ही सम्पादित किये जायें। अतः परीक्षा प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाए रखने हेतु प्रचलित SOP की पुनर्समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है। **<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः</u>** मा० कार्य परिषद से अनुरोध है कि परीक्षा विभाग में समस्त संकायों की परीक्षाओं के कार्यों हेतु पूर्व में SOP निर्धारित की गई है। उक्त एस०ओ०पी० में परीक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण गोपनीय विभाग की आवश्यक्तानुसार संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। परीक्षा के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों की कक्ष निरीक्षक/उड़नदस्ता के रूप में ड्यूटी लगाई जाती है, जो परीक्षा की संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता के दृष्टिगत उचित नहीं है।. अतः सम्बन्धित विभाग/विषय से सम्बद्ध अधिकारियों की कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी न लगाई जाए। उड़नदस्ता एवं कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही लगाई जाए। साथ ही परीक्षा सम्बन्धित समस्त कार्य परीक्षा विभाग के द्वारा ही सम्पादित किये जाने है। उक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद से परीक्षा विभाग में लागू SOP में आवश्यक संशोधन किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध है।
<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> **विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में समस्त संकायों की परीक्षाओं के कार्यों हेतु पूर्व निर्धारित SOP में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
<u>टेबल एजेण्डा (मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)</u>	
<u>टेबल एजेण्डा–17.1(T)</u> परीक्षा विभाग में परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक परीक्षा नियंत्रक नामित किये जाने संबंधी कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन के संबंध में।	परीक्षा विभाग में कार्य की अधिकता तथा विभागीय कार्यों के सुगम, सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु कार्यालय आदेश सं0 192/कु0का0/2025सीडी/यू0पी0यू0एम0एस0/2026–27 दिनांक 25 जुलाई, 2026 के माध्यम से डॉ0 विजय किशोर चक्रवर्ती को उप परीक्षा नियंत्रक, 203/कु0का0/2025 सीडी/यू0पी0यू0एम0एस0/2026–27 दिनांक 06 अगस्त, 2026 के माध्यम से डॉ0 अमिता सिंह, असिस्टेंट

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग को सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं 213/कु0का0/2025 सीडी/यू0पी0यू0एम0एस0/26–27 दिनांक 05 सितम्बर, 2026 के माध्यम से डॉ0 आदित्य कुमार गौतम, प्रोफेसर (जू0ग्रेड), रेस्पिरेटी मेडिसिन विभाग को परीक्षा नियंत्रक नामित किया गया है। **प्रस्तावः–** कार्यालय आदेश सं0 192/कु0का0/2025सीडी/ यू0पी0यू0एम0एस0/2026–27 दिनांक 25 जुलाई, 2026 , 203/कु0का0/2025 सीडी/यू0पी0यू0एम0एस0/2026–27 दिनांक 06 अगस्त, 2026 एवं 213/कु0का0/2025सीडी/ यू0पी0यू0एम0एस0/26–27 दिनांक 05 सितम्बर, 2026 के माध्यम से की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
कार्य परिषद का निर्णयः– **विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0 192/कु0का0/2025सीडी/ यू0पी0यू0एम0एस0/2026–27 दिनांक 25 जुलाई, 2026, 203/कु0का0/2025 सीडी/यू0पी0यू0एम0एस0/2026–27 दिनांक 06 अगस्त, 2026 एवं 213/कु0का0/2025सीडी/ यू0पी0यू0एम0एस0/26–27 दिनांक 05 सितम्बर, 2026 के माध्यम से की गयी कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
टेबल एजेण्डा–17.2(T) **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही किए जाने हेतु अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः–** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष निम्नलिखित पर्वों का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाता है – 1. बसन्त पंचमी 2. गांधी जयन्ती 3. स्वतंत्रता दिवस 4. गणतंत्र दिवस 5. बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर जयन्ती 6. शिक्षक दिवस 7. नर्सिंग दिवस 8. मजदूर दिवस (मई दिवस) 9. रिसर्च शोकेस 10. स्थापना दिवस 11. कन्वोकेशन (Convocation of the University) 12. योगा दिवस 13. सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद (Cultural Programme & Sports) 14. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित पर्व एवं जयन्ती उक्त कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, छात्र/छात्राओं एवं कार्मिकों के साथ–साथ पूरे देश एवं प्रदेश स्तर के गणमान्य व्यक्ति भी प्रतिभाग करते हैं। **पृष्ठभूमिः–** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रारम्भ से ही उपरोक्त सभी राष्ट्रीय पर्वों एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों को जनसहभागिता के साथ मनाने का प्रचलन है। अतः उक्त कार्यक्रमों को मनाये जाने में वित्तीय व्यय भी होता है। **प्रस्तावः–** उपरोक्त कार्यक्रमों के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन हेतु आवश्यक है कि इनका प्रबंधन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाये एवं कार्यक्रमों के आयोजन में होने वाला वास्तविक व्यय (Actual expences) विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाये। (सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद आयोजन की अधिकतम सीमा रूपये पन्द्रह

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	लाख तक निर्धारित की जा सकती है) **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** माननीय कार्य परिषद उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

कार्य परिषद का निर्णयः– विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष उक्त पर्वों का आयोजन वृहद स्तर पर किए जाने हेतु रू0 10.00 लाख की सीमा के भीतर प्रति कार्यक्रम जी0एफ0आर0 नियमों को अपनाते हुए कार्यवाही करने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

टेबल एजेण्डा–17.3(T) **उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई–इटावा में डेडीकेटिड मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज हेतु जेम निविदा संख्या–GEM/2023/B/3003583 के सापेक्ष मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ के मध्य GeM Contract No-GEMC511687773390324 Dated 17-07-2023 में Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions, Clause No- 2-1 के अंतर्गत अनुबंधित मात्रा/पॉइंट में अधिकतम 25 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।**	प्रस्तावना– (1) उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई–इटावा के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालय/इमरजेन्सी एव ट्रामा सेन्टर के विभिन्न वार्डों एवं विभागों से मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज के अन्तर्गत कार्यरत मैनपावर की आवश्यकता के सम्बन्ध में निरन्तर मांग प्राप्त हो रही है। वर्तमान में उपलब्ध मैनपावर की कमी के कारण संबन्धित वार्डों एवं विभागों में कार्य प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में चिकित्सालय/इमरजेन्सी एवं ट्रामा सेन्टर रोगियों के उपचार में अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसमें इमरजेन्सी के अतिरिक्त 14 बेड (वार्ड–सी), पी0एम0यू0 के 06 बेड, आब्स एण्ड गायनी में पृथक आई0सी0यू0 (Advanced Maternal Critical Care Unit) की स्थापना, स्वाइन फ्लू के रोगियों के उपचार हेतु 20 बेड का पृथक आईसोलेशन वार्ड आदि की अतिरिक्त सुविधाओं में वृद्धि की गयी है, जिसमें अतिरिक्त मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज के अन्तर्गत मैनपावर की अत्यन्त आवश्यकता है। (2) मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ के मध्य GeM Contract No- GEMC511687773390324 Dated 17-07-2023 में Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions, Clause No- 2.1 के अंतर्गत अनुबंधित मात्रा/पॉइंट में अधिकतम 25 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने का निम्नवत् प्राविधान किया गया हैः– "The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity by up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orderers accordingly." अनुबन्ध की शर्त संख्या–2.7 के अनुसार अनुबन्ध की अधिकतम अवधि 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 31.07.2025 निर्धारित थी। (3) तत्कालीन मा0 कुलपति की अध्यक्षता में 600 प्वाइंट्स हेतु एम0टी0एस0 की आवश्यकता की गणना के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की आहूत बैठक दिनांक 17.07.2025 में निर्णय लिया गया था कि एम0टी0एस0 के सम्बन्ध में वर्तमान में जो निविदा चल रही है उसमें 25 प्रतिशत कार्मिकों की वृद्धि चरणबद्व रूप से कर ली जाये। (4) डेडीकेटिड मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज हेतु 474 मल्टीटास्किंग मैनपावर की जेम पोर्टल पर निविदा संख्या–GEM/2026/B/7145962 Dated 23.01.2026 प्रकाशित की गयी थी, जिसे प्रशासकीय कारणों से दिनांक 23.07.2026 को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में द्वितीय बार पुनः निविदा प्रकाशित की जा रही है। नवीन निविदा प्रक्रियाधीन होने के दृष्टिगत उक्त निविदा की अधिकमतम अवधि 31.07.2025 की समाप्ति उपरान्त 03–03 माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। वर्तमान में अनुबन्ध विस्तार 01.08.

दीपक वर्मा
कुलसचिव

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

	2026 से 31.10.2026 तक अथवा नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक अनुबन्ध विस्तार प्रदान किया गया है। **(5)** उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई–इटावा में डेडीकेटिड मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज के लिए वर्तमान में कुल 474 प्वाइट्स हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है। वर्तमान में पूर्व अनुबन्ध के सापेक्ष कुल 329 मल्टी टास्किंग मैनवपावर की सेवाऐं प्राप्त की जा रही है। जबकि वर्तमान में चिकित्सालय की अतिरिक्त मांग के अनुसार 474 मैनपावर की आवश्यकता है। इस प्रकार इस समय चिकित्सालय में 145 मल्टी टास्किंग मैनपावर की कमी है। फिलहॉल चिकित्सालय की अतिरिक्त आवश्कताओं के दृष्टिगत पूर्व अनुबन्ध में नियमानुसार (Clause No. 2-1 के अंतर्गत) पॉइंटस में वृद्वि किया जाना प्रस्तावित है। इस अतिरिक्त वृद्वि का आगामी वित्त समिति में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
	<u>विचारणीय बिन्दु–</u> उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई–इटावा में डेडीकेटिड मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज हेतु जेम निविदा संख्या–GEM/2023/B/3003583 के सापेक्ष मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ के मध्य GeM Contract No- GEMC511687773390324 Dated 17-07-2023 में Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions, Clause No- 2-1 के अंतर्गत अनुबंधित मात्रा/पॉइंट में अधिकतम 25 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने के नियत प्राविधान व नवीन निविदा के अन्तिमीकरण के दृष्टिगत विभिन्न वार्डों व विभागों से प्राप्त हो रही मैनपावर की निरंतर मांग तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक मैनपावर की उपब्धता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत आगामी वित्त समिति के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ के अनुबंधित मात्रा/पॉइंट में (Clause No. 2-1 के अंतर्गत) प्वांइट्स की वृद्धि किए जाने पर विचार।
	<u>प्रस्ताव–</u> उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई–इटावा में डेडीकेटिड मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज के अन्तर्गत मैनपावर की सेवाऐं लिये जाने हेतु मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ के मध्य हुए अनुबन्ध के Clause No- 2-1 के अंतर्गत अनुबंधित मात्रा/पॉइंट में अधिकतम 25 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने के नियत प्राविधान व नवीन निविदा के अन्तिमीकरण के दृष्टिगत विभिन्न वार्डों व विभागों से प्राप्त हो रही मैनपावर की निरंतर मांग तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक मैनपावर की उपब्धता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत एवं 600 प्वाइंट्स हेतु एम0टी0एस0 की आवश्यकता की गणना के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की आहूत बैठक दिनांक 17.07.2025 में वर्तमान प्रचलित निविदा में 25 प्रतिशत कार्मिकों की वृद्वि चरणबद्व रूप से किये जाने के निर्णय के अनुपालन में आगामी वित्त समिति के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ के अनुबंधित मात्रा/पॉइंट में (Clause No. 2-1 के अंतर्गत) प्वांइट्स की वृद्धि किए जाने का मा0 कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

<u>कार्य परिषद का निर्णयः–</u> विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालय/इमरजेन्सी एव ट्रामा सेन्टर

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

दीपक वर्मा
कुलसचिव

के विभिन्न वार्डों एवं विभागों से मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज के अन्तर्गत कार्यरत मैनपावर की आवश्यकता के दृष्टिगत डेडीकेटिड मल्टी टास्किंग मेडिकल सर्विसेज के अन्तर्गत मैनपावर की सेवाऐं लिये जाने हेतु मे0 किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विसेस प्रा0 लि0, लखनऊ के मध्य हुए अनुबन्ध के **Clause No- 2-1** के अंतर्गत अनुबंधित मात्रा/पॉइंट में अधिकतम 25 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
टेबल एजेण्डा–17.4(T) **विश्वविद्यालय में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट (Medical Education Department) की स्थापना के संबंध में।**	विश्वविद्यालय में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना के संबंध में मा० कुलपति महोदय द्वारा कार्य परिषद में सदस्य के रूप में नामित डॉ० अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के०जी०एम०यू०, लखनऊ से सहयोग एवं सहमति हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर डॉ० अमिता पाण्डेय द्वारा सहर्ष सहमति व्यक्त की गई।
कार्य परिषद का निर्णयः– मा० कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट (**Medical Education Department**) की स्थापना किए जाने तथा इस संबंध में डॉ० अमिता पाण्डेय, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के०जी०एम०यू०, लखनऊ के सहयोग एवं सहमति के क्रम में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।	

कुलपति/अध्यक्ष–कार्य परिषद द्वारा बैठक के अंत में मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(दीपक वर्मा)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

(डॉ0 अजय सिंह)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

कार्य परिषद की सत्रहवीं बैठक दिनांक 07.09.2026 (उपस्थिति)

क्र०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०/ ई-मेल आई.डी.	हस्ताक्षर
1.	Dr. Ajai Singhh	Vice Chancellor, UPUMS, Saifai	–	[signature]
2.	Dr Ram Kant Yadav	Pro-Vice chancellor, UPUMS, Saifai.	–	[signature]
3.	Deepak Verma	Registrar, UPUMS, Saifai.	–	[signature]
4.	Dr. Adesh kumar	Dean, Faculty of Medicine UPUMS, Saifai	–	[signature]
5.	Prof. Biji Biju	Dean, Faculty of Nursing & UPUMS, Saifai	I/c Dean, Faculty of Pharmacy.	[signature]
6.	Dr. J. P. Mathuria	Dean, FAHS	8057483066, jitesh1545@gmail.com	[signature]
7.	Dr. Atul Kumar Singh	Dean (Dental)	9452074574 dr.atul148@gmail.com	[signature]

कार्य परिषद की सत्रहवीं बैठक दिनांक 07.09.2026 (उपस्थिति)

क्र0	नाम	पदनाम	मोबाइल नं0/ई-मेल आई.डी.	हस्ताक्षर
~~8.~~	~~Dr. Rajesh Kumar Verma~~			
8.	Vice Chancellor (Dr. Sonia Nityanand), KGMU, Lucknow		—	Online
9.	Dr. Shailendra Pal Singh	Professor + Head, General Surgery	9457879726 / drspsinghsaifai@gmail.com	
10.	Mr. Dogra Shakti	Finance Officer	—	07/09/2026
11.	Dr. Amit Singh	Medical Supdt.	—	
12.	Dr. Rajesh Kumar Rawat	Prof & Head Microbiology	8477973359	
13.	Director, SGPGI (Dr. R.K. Dhiman)		—	Online
14.	Dr. R.K. Singh	Prof. + Head, Emergency Medicine	SGPGIMS, Lucknow.	Online
15.	Dr. Amita Pandey	Professor, Obst. + Gynae, KGMU,	Lucknow	Online
16.	Dr. Sanjay Kala	Professor-Surgery + Principal, GSVM	Medical College, Kanpur	Online
17.	Dr. Prashant Gupta	Principal, SNMC, Agra.		Online
18.	Dr. Anil Kumar	Addl. Director, DGME Office -	(Rep - DGME, UP, Lucknow)	Online